# PERFECT 7
## साप्ताहिक
### समसामयिकी

जून-2019 | अंक-3


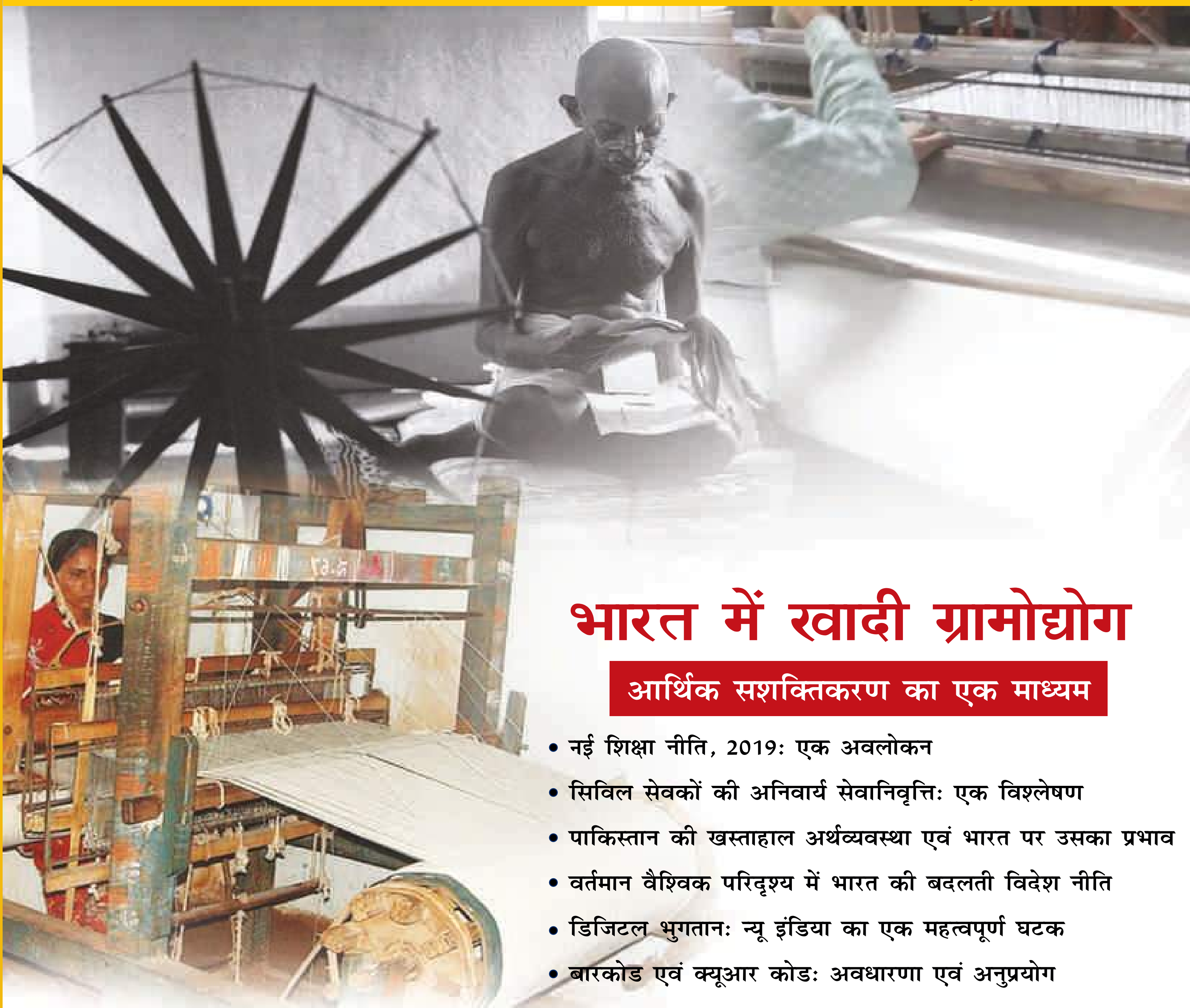

# भारत में खादी ग्रामोद्योग

## आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम

- नई शिक्षा नीति, 2019: एक अवलोकन
- सिविल सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्तिः एक विश्लेषण
- पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था एवं भारत पर उसका प्रभाव
- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती विदेश नीति
- डिजिटल भुगतानः न्यू इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक
- बारकोड एवं क्यूआर कोडः अवधारणा एवं अनुप्रयोग


ध्येयIAS®
most trusted since 2003

# DHYEYA IAS®
*most trusted since 2003*

KANISHAK KATARIA
AIR 1

## LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
***122+ selection in CSE 2018***

### FOUNDATION BATCH

*Test before you trust*

**OPEN CLASSES**

**17 JUNE** 5:30 PM | **24 JUNE** 10:30 AM

### OPEN MAINS CSE ANSWER WRITING PROGRAMME-2019

- *Modular Classes.*
- *Art & Culture, Modern, Ethics, Essay etc.*
- *8 Questions per day.*

**17 JUNE | 2:00 PM**

### CSE MAINS-STRATEGY FOR GS & OPTIONAL WITH

Mr. Agrawal Akshay Sunil | AIR - 43 (Economics-310, GS-412)
Mr. Veer Pratap Singh | AIR-92 (Philosophy-306, GS-412)
Mr. Gaurav Gunjan | AIR-262 (Geography-314, GS-384)
Mr. Jawed Hussain | AIR-280 (Electrical-296), GS-418)

**15 JUNE |1:00 PM**

### ALL INDIA MAINS TEST SERIES 2019
*with face to face evaluation*

- 12 GS (8 Sectional + 4 Full Length) | 5 Essay.
- Test Series Free for all interviewee of CSE-2018.
- First Test Free for All
- ECONOMICS Optional Test Series also available.

**16 JUNE | OFFLINE | ONLINE**

**9205274743 011 49274400**

**25 B 2nd FLOOR, METRO PILLAR NO. 117,
PUSA ROAD, OLD RAJENDRA NAGAR, NEW DELHI - 110060**

# ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

**विनय कुमार सिंह**
**संस्थापक एवं सीईओ**
**ध्येय IAS**

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

**क्यू. एच. खान**
**प्रबंध निदेशक**
**ध्येय IAS**

# Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

**कुरबान अली**
**मुख्य सम्पादक**
**ध्येय IAS**
**( पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी. )**

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

**आशुतोष सिंह**
**प्रबंध सम्पादक**
**ध्येय IAS**

# प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

# Perfect 7


साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

जून-2019 | अंक-3



**संस्थापक एवं सी.ई.ओ.**
विनय कुमार सिंह

**प्रबंध निदेशक**
क्यू.एच.खान

**मुख्य संपादक**
कुरबान अली

**प्रबंध संपादक**
आशुतोष सिंह

**संपादक**
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

**संपादकीय सहयोग**
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

**मुख्य लेखक**
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

**लेखक**
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

**मुख्य समीक्षक**
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

**त्रुटि सुधारक**
संजन गौतम, जीवन ज्योति

**आवरण सज्जा एवं विकास**
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

**विज्ञापन एवं प्रोन्नति**
गुफरान खान, राहुल कुमार

**प्रारूपक**
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

**टंकण**
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

**लेख सहयोग**
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

**कार्यालय सहायक**
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन



**Content Office**

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

## विषय सूची


**सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर ....................01-22**

- भारत में खादी ग्रामोद्योग: आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम
- नई शिक्षा नीति, 2019: एक अवलोकन
- सिविल सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति: एक विश्लेषण
- पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था एवं भारत पर उसका प्रभाव
- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती विदेश नीति
- डिजिटल भुगतान: न्यू इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक
- बारकोड एवं क्यूआर कोड: अवधारणा एवं अनुप्रयोग

**सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ....................23-31**

**सात महत्वपूर्ण तथ्य ....................32**

**सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) ....................33**

**सात महत्वपूर्ण खबरें ....................34-36**

**सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी ....................37-40**

**सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से ....................41-44**



## Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

# सात महत्वपूर्ण मुद्दे

## 1. भारत में खादी ग्रामोद्योग : आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम

### सन्दर्भ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस खादी को देश में स्वरोजगार पैदा करने का माध्यम बनाया था, उसी देश में आजादी के 72 साल बाद भी खादी ग्रामोद्योग आयोग की हालत अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। हर वर्ष 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को ही खादी के कपड़े नजर आते हैं। इन अवसरों पर खादी के विकास की अनेक बातें भी की जाती हैं, लेकिन ये तमाम वायदे अब भी अधूरे प्रतीत हो रहे हैं।

### खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषा

"खादी" का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र।

"ग्रामोद्योग" का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूँजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी पचास हजार रुपये से अधिक न हो। इस हेतु परिभाषित 'ग्रामीण क्षेत्र में' समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित हैं।

### पृष्ठभूमि

अतीत में भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सुदृढ़ अवस्था में थी, जिसका श्रेय यहाँ की हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों को था। भारत में कुटीर उद्योगों में खादी ग्रामोद्योग (अर्थात हाथ से कताई और हाथ से बुनाई) का महत्त्व प्राचीनकाल से ही रहा है। भारत के प्राचीन साहित्यों में भी यहाँ के हस्त निर्मित वस्त्रों के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद जिसमें आंतु और तंतु का उल्लेख मिलता है, इस काल में कताई व बुनाई करने को एक यज्ञ माना जाता था।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त के अनुसार बुनाई भारत वर्ष का एक राष्ट्रीय उद्योग था, जिससे लाखों महिलाएँ एवं पुरुष जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों का मानना है कि भारत वर्ष का वस्त्र न केवल यूरोप बल्कि सदियों तक सीरिया, बेबीलोन, यूनान, टर्की, सूडान, रूस और चीन तक निर्यात होता रहा है। हालांकि अंग्रेजों ने भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन में उत्पादित वस्त्र को भारतीय बाजार में उतार कर भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया था। इसके फलस्वरूप भारत यूरोपीय देशों के कच्चे माल की पूर्ति का केन्द्र मात्र बनकर रह गया। इस कारण धीरे-धीरे भारतीय ग्रामों में फैला परम्परागत वस्त्र उद्योग नष्ट होने लगा।

हालाँकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दृष्टि लुप्तप्राय होते जा रहे ग्रामीण उद्योगों की ओर गई। उन्होंने स्वदेशी वस्त्र उत्पादन के कार्य को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1925 में 'अखिल भारत चरखा संघ' की स्थापना से खादी कार्य का सूत्रपात किया। गांधी जी का लक्ष्य खादी उद्योग के माध्यम से शोषण मुक्त समाज की रचना करना था। वर्ष 1947 तक यह उद्योग गांधी जी के मार्गदर्शन में रहा। 1948 में भारत की औद्योगिक नीति घोषित की गई जिसमें खादी और ग्रामोद्योग को देश के ग्रामीण आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का निश्चय किया गया। 1956 में भारत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के गठन के समय 26 ग्रामोद्योग निर्धारित किये थे। जुलाई 1987 और 2006 में कानून में संशोधन करके 70 नये ग्रामोद्योग जोड़े गये। यह आयोग भारत सरकार के प्रशासनिक विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय (MSME) के नियंत्रण में कार्य करता है।

### खादी ग्रामोद्योग की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में लगभग 50 लाख लोग खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों और संस्थानों में कार्य करते हुए सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इससे भी अधिक संख्या में लोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पोषित-आर्थिक सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार देशभर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग पोषित अथवा सहायता प्राप्त कुल 3,91,344 उद्योग कार्यरत हैं।

फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खादी ग्रामोद्योग विकास योजना को वर्ष 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस योजना पर 2017-18 से 2019-20 की अवधि में कुल 2,800 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना के तहत एक नए आयाम 'रोजगार युक्त गाँव' को जोड़ा गया है जिससे खादी क्षेत्र में उपक्रम आधारित परिचालन शुरू किया जा सकेगा। इससे हजारों नए बुनकरों को चालू और अगले वर्ष में रोजगार के अवसर उपलबध होंगे। इसके अलावा प्रति गाँव में कुल पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में 72 लाख रुपये होगा तथा बिजनेस पार्टनर से प्राप्त वर्किंग कैपिटल के संदर्भ में यह सीमा 1.64 करोड़ रुपये की होगी। साथ ही सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग की आठ अलग-अलग योजनाओं को अब अम्ब्रेला योजनाओं 'खादी विकास योजना' तथा 'ग्रामोद्योग विकास योजना' में विलय कर दिया है।

### खादी ग्राम उद्योग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक

चूंकि खादी हाथ से कते हुए सूत का उपयोग करके, हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है और सूत कताई की यह प्रक्रिया चरखे द्वारा की जाती है।

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

इसलिए इस प्रक्रिया को करने के लिए बड़ी-बड़ी फैक्ट्री स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन की भी जरूरत नहीं पड़ती जो वर्तमान समय में प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। आज सम्पूर्ण विश्व को लग रहा है कि उन्हें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर पर्यावरण सम्बन्धी कोई दुष्परिणाम ना हो। इस स्थिति में खादी का उपयोग और इसके उत्पादन को बढ़ावा देना भी ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में एक सकारात्मक पहल हो सकती है। अतः खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने पर जहाँ लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं देश और विश्व के पर्यावरण को अच्छा बनाने में भी इसका योगदान होगा। इसलिए खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने अनेक योजनाएँ चलाई हुई हैं।

## खादी ग्रामोद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- खादी के सामने आज अस्तित्व का संकट है। देश में कुल 1700 खादी संस्थाएँ हैं लेकिन उनकी स्थिति जीवनरक्षक यंत्र में रखे किसी मरीज से बेहतर नहीं है। एक तरफ बैंक के कर्ज तो दूसरी ओर सालों से लंबित छूट (रिबेट) ने खादी संस्थाओं की कमर तोड़ दी है। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि तमाम प्रयासों के बाद अब भी लगभग पचास करोड़ रुपए से अधिक की छूट राशि का भुगतान लटका पड़ा है।
- कत्तिन बुनकरों की दशा दयनीय है। हालांकि सरकार ने 'बाजार विकास सहायता' जैसी नई योजना के तहत उत्पादन पर निर्धारित बीस फीसद सहायता में से पाँच फीसद कत्तिन बुनकरों के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान किया है, लेकिन यह नीति ही अपने आप में खादी को खाने वाली साबित होगी क्योंकि खादी की बिक्री पर छूट समाप्त किए जाने के बाद महंगी खादी कितनी बिकेगी, कहना कठिन है और जब बिक्री ही नहीं होगी तो उत्पादन क्या होगा? और उत्पादन नहीं होगा तो खादी और खादी बनाने वालों का क्या होगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। देशी कपास का सिमटना, खादी क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों में से एक है।
- खादी के उत्पादन और बिक्री की चमक धीमी पड़ती जा रही है, भारत के कई खादी संस्थान अस्तित्व में तो हैं किन्तु अब उन संस्थानों में न तो वैसे खादी के कार्यकर्ता रह गए, न कत्तिन, न बुनकर, न ही बिक्री और न व्यापार।
- भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी को लेकर महात्मा गांधी की सोच आज फैशन के इस जमाने में कहीं गुम हो गई है। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग में जब तक खादी के पुराने कार्यकर्ता रहे तब तक काम सही रहा, किन्तु बदलते वक्त के साथ खादी को लेकर लोगों का समर्पणभाव कम होता गया, जिसके बाद खादी कार्यक्रम की दिशा और दशा दोनों ही बिगड़ने लगी।
- अंग्रेजी शासनकाल में जो खादी करों से मुक्त थी आज वह नौकरशाही के चपेट में है। प्रमाण पत्र से लेकर आयकर और तमाम दूसरी नीतियाँ उनका दमन कर रही हैं।
- जब तक समर्पित गांधीवादी सोच के लोगों का वास्तविक योगदान था तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला किंतु 1980 के बाद बैसाखियों के सहारे चलने वाली खादी डगमगाने लगी। उदारीकरण ने इसे और झटका दिया।
- खादी संस्थाएँ सरकारी व्यवहार से असहज और अपमान से आहत महसूस कर रही हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग संस्थाओं को अपना एजेंट मानकर स्वायत्तता पर संकट पैदा कर रहा है। खादी कार्यकर्ता इस बात से आहत हैं कि जिस खादी को भारत की सांस्कृतिक विरासत समझा जाता था, वो ब्रांड बनाकर बाजारी संस्कृति का हिस्सा बनाई जा रही है।
- जिस खादी के सहारे गांधी जी देहाती दुनिया में सामाजिक, आर्थिक बदलाव चाहते थे वो आज जड़ता की चपेट में है। खादी आंदोलन की लौ मंद पड़ती जा रही है।
- भारत में खादी और ग्रामोद्योग के तहत चलने वाले 7 हजार केंद्रों पर खादी के कपड़े की सालाना बिक्री 1,000 करोड़ रुपये की है। इसके बावजूद आज हमारे देश में सूती और ब्रांडेड पहनने का फैशन चल पड़ा है, इसके अलावा देश के नौजवानों को खादी की तरफ आकर्षित करने के तमाम सरकारी प्रयास निष्फल साबित हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में खादी का प्रचार-प्रसार पूरी ईमानदारी के साथ किया ही नहीं गया।

## सरकारी प्रयास

- खादी उत्पाद को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान सरकार कार्यशील है। यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों जैसे मन की बात और अनेक कार्यक्रमों में की है।
- हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने एयर इंडिया के साथ एक करार किया है जिसमें एयर इंडिया के चालक दल के सदस्यों की वर्दी खादी के कपड़े से बनी होगी। इससे खादी का नाम देश विदेश में प्रचलित होगा जो खादी के विपणन (मार्केटिंग) में सहायक होगा।
- सरकार की खादी उद्योग में अगले पाँच साल के दौरान पाँच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में सौर ऊर्जा से चलने वाले कताई चक्के लाने की योजना बनाई है ताकि इस क्षेत्र में अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
- एमएसएमई मंत्रालय खादी स्टोर नेटवर्क का विस्तार करने पर भी गौर कर रहा है। खादी उत्पादों की ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये बिक्री के लिये भागीदारी और गठबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।
- एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रहा है। केयर उद्योग (नारियल के रेशे) के साथ-साथ खादी उद्योग सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।
- कई तरह की योजनाएँ जैसे कि ब्याज सहायता देना, बाजार उन्नयन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता, क्लस्टर आधारित विकास के अवसर और इसके साथ ही नये डिजाइनों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- खादी ग्रामोद्योग ने खादी कपड़ों के संयुक्त तौर पर संवर्द्धन के लिये निजी क्षेत्र की कंपनियों, अरविंद, रेमंड और अन्य के साथ भी भागीदारी की है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि खादी के कपड़ों को विशेषतौर पर युवाओं और कंपनियों के बीच प्रचलित करना। इसके अलावा खादी के वातावरण अनुकूल और गुणवत्ता वाले कपड़ों को बाजार में उतारने के लिये फैशन डिजाइनरों को भी शामिल किया जा रहा है।
- भारत सरकार ने खादी कपड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट योजना' को शुरू किया है। इससे खादी उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। देशभर में खादी कपड़ों के 7,000 से अधिक शो-रूम हैं जिनमें खादी उत्पादों की बिक्री की जा सकती है।
- सरकार द्वारा खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट उपलब्ध करायी जाती है ताकि अन्य कपड़ों की तुलना में इनके मूल्यों को सस्ता रखा जा सके।

**खादी ग्रामोद्योग आयोग**

लोगों में स्वावलंबन उत्पन्न करने और मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना पैदा करने के साथ ही खादी ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि रोजगार सृजन के सतत स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर जाना जाता है। यह कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शोध और विकास, विपणन इत्यादि के क्षेत्र में सक्रिय रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने/स्वयं के रोजगार अवसर जुटाने में सहायता करता है।

**खादी ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्य**

- इसका सामाजिक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराना है।
- इसका आर्थिक उद्देश्य बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना है।
- इसका व्यापक उद्देश्य लोगों में स्वावलंबन तथा एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना है।

**कार्य**

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्य, खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956-61) के तहत बनाए गये नियमों के अनुरूप हैं। इनमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं-

- खादी और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक या उनमें काम कर रहे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उन्हें आयोजित करना।
- हाथ से सूत कातने या खादी के उत्पादन या ग्रामीण उद्योगों में लगे लोगों या उत्पादन कार्य में लगाए जाने वाले लोगों के लिए आयोग द्वारा तय दर पर प्रत्यक्ष या निर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- कच्चा माल के प्रसंस्करण या अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के लिए आम सुविधा मुहैया कराना तथा खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन में सहायता प्रदान करना।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद या हथकरघा उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढावा देने के लिए बाजार की एजेंसियों से आवश्यकता अनुसार संपर्क स्थापित करना।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्माण के लिए गैर परम्परागत ऊर्जा तथा बिजली के इस्तेमाल से शोध और प्रौद्योगिकी को बढावा देना जिससे कि उत्पादन बढ़ सके और नीरसता दूर हो, साथ ही इस तरह के शोध से उत्पादन की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़े।
- खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों की समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष या दूसरी एजेंसियों के माध्यम से अध्ययन करना।
- खादी और ग्रामीण उद्योगों के काम में लगे व्यक्तियों या संस्थानों को प्रत्यक्ष या विशेष एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना तथा डिजाइन, प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी देना।
- खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आयोग के विचार में आवश्यक समझे जाने वाले प्रयोग या पायलट परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से या विशेष एजेंसियों के माध्यम से चलाना।
- उपरोक्त मामलों में से एक या सभी को पूरा करने के उद्देश्य से अलग संगठन स्थापित करना और उन्हें चलाना।
- खादी उत्पादन और ग्रामीण उद्योग में लगे उत्पादन कर्ताओं के बीच सहकारी प्रयासों को बढावा देना और प्रोत्साहित करना
- खादी और ग्रामोद्योग के विशुद्ध उत्पाद सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता और मानक तय कर उत्पादों को उसी के अनुरूप निर्मित करना तथा संबंधित व्यक्तियों को प्रमाणपत्र या मान्यता पत्र प्रदान करना।

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु विविध आरएंडडी (अनुसंधान एवं विकास) गतिविधियाँ कर रही है तथा घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए केवीआई इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- दस्तकारों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की गयी सहायता का 25 प्रतिशत अर्जित करने के अलावा, खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2010 से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन पर बाजार विकास योजना शुरू की गयी है।
- राज्यवार खादी पर नजर डालें तो राजस्थान में उद्योग मंदिर, राजस्थान खादी विकास मंडल, खादी समिति वसी और खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान बीकानेर जैसे कुछ संस्थान विषम परिस्थितियों में भी खादी के काम में हाथ बँटा रहे हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश में खादी आश्रम टिकागढ़ और आंध्र प्रदेश में कई संस्थान हैं, जो खादी के काम को हर हाल में आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित किए हुए हैं।

## अन्य प्रयास

- पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर बल देने के साथ-साथ सरकार द्वारा धरोहर ग्रामों की पहचान कर उनका विकास किया जा रहा है।
- डिजाइन और प्रौद्योगिकी में नवीनता लाना, साथ ही खादी का बाजार हिस्सा बनना एवं खादी उत्पादों को सभी आयु वर्ग में लोकप्रिय बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

## निष्कर्ष

गाँवों का उत्थान ही भारत की सच्ची उन्नति की कसौटी है। खादी-दर्शन की मूल भावना से साक्षात्कार करते हुए ग्रामों की अधिकतम आत्मनिर्भरता के लिए और ठोस प्रयास आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। इस संबंध में प्रयास केवल सरकारी स्तर अथवा सहायता से ही नहीं, अपितु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से मस्तिष्क में गहराई के साथ यह सत्यता बैठाकर वांछित है कि स्वदेशी से स्वराज्य का मार्ग ग्रामों से ही होकर गुजरता है। खादी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और समृद्धि की जीती-जागती प्रतीक रही है। यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत प्रमाण है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश के युवा वर्ग खादी का प्रचार प्रसार करें तथा वे इसे अपनाएं। इसके अलावा खादी कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ इस सत्यता से साक्षात्कार करते हुए जुड़ें कि खादी और खादी-दर्शन हमारी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता का एक सुदृढ़ एवं अति महत्वपूर्ण स्तंभ है।

निष्कर्षत: माना जा सकता है कि मौजूदा माहौल में खादी की विकास में व्यापक संभावनाएँ हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार अपने साथ-साथ राज्य सरकारों को भी नयी भूमिका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करे। साथ ही कत्तिनों और बुनकरों को आजीविका सुनिश्चित करने और उनकी आय को बढ़ाने की जरूरत है।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3**

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

# 2. नई शिक्षा नीति, 2019: एक अवलोकन

### चर्चा का कारण

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के पुनर्गठन हेतु मसौदा (Draft) को प्रस्तुत किया गया है।

### परिचय

शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, यह ज्ञान हम सभी को न सिर्फ सम्पूर्ण मानव बनाने में सहायक होता है बल्कि एक सभ्य समाज का निर्माण करने और मानव को उसका सही अर्थ बताने में पूरी तरह से सक्षम होता है। शिक्षा एक ऐसा साधन होता है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि मानव सभ्यता के आरंभ से ही शिक्षा को अधिक से अधिक व्यक्तियों में आत्मसात करने के लिए कार्य किया गया। इस संदर्भ में भारत प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है तथा शिक्षा के केन्द्र के रूप में जाना जाता रहा है। वर्तमान समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में जाना जाता है जहाँ तकरीबन 1.53 मिलियन स्कूल, 864 से अधिक विश्वविद्यालय, 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित 51 राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ हैं, जिनमें लगभग 23 आईआईटी और 30 एनआईटी (NIT) शामिल हैं। वहीं 300 मिलियन से अधिक छात्र हैं। इसके बावजूद अभी-भी शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता में विस्तार की आवश्यकता है।

### भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफर

- शिक्षा में सुधार का दौर देश में आजादी के पहले से ही चला आ रहा है लेकिन यह सुधार औपनिवेशिक हितों के अनुकूल था। उदाहरण के लिए मैकाले का घोषणा-पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, हण्टर आयोग 1882 आदि। इसके साथ ही उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना मुश्किल होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् सभी तक शिक्षा की पहुँच सुलभ कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग तथा 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को स्थापित किया गया और शिक्षा के गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई।
- गौरतलब है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरूआत हुई।
- 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
- वहीं 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया जिसे 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा की माँग चलती रही और समय-समय पर इसके लिए आन्दोलन होते रहे।
- शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे को मिले इसके लिए शिक्षा को संवैधानिक दर्जा देने की माँग कई दशकों तक की गई। सरकार ने 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी जिसके बाद RTE यानी शिक्षा के अधिकार की राह खुल गई। हालाँकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था लेकिन यह अनिवार्य नहीं था।
- विदित हो कि अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया था। इस संदर्भ में 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिसके पश्चात् 1 अप्रैल 2010 में जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 6-14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिया गया ताकि वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार बन जाने के बाद हालात में काफी सुधार हुआ है लेकिन यह योजना लक्ष्य से अभी-भी काफी पीछे है और सरकार तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
- ज्ञातव्य है कि सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत हुई थी जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 272 जिलों में हर बच्चों को शिक्षा देने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। हालाँकि बदलते दौर में देश की शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौजूदा सरकार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अलावा कौशल आधारित शिक्षा पर भी जोर दे रही है।
- वर्ष 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से बच्चों के शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। यही नहीं कम्प्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने में बच्चों को तकनीकी रूप से दक्ष करना भी लक्ष्य है।
- इसी की एक अगली कड़ी के रूप में सरकार ने 2015 तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का लक्ष्य भी बनाया जिसके लिए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
- सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में विकास के साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाना आज की नई शिक्षा नीति की अहम प्राथमिकताएँ हैं।
- इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु पिछली सरकार ने 2017 में डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया।

### नई शिक्षा नीति का मसौदा : प्रमुख सिफारिशें

- नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।
- इसमें लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों को हटाने के विकल्प के

साथ एम. फिल प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

- मसौदा के अनुसार, पी.एच.डी. करने के लिए अब या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।
- नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+3+4 डिजाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है। जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है।
- यह मसौदा धारा 12(1)(सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है।
- विदित हो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के लिए तीन प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन की योजना भी प्रस्तावित है जिसके तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किया जायेगा।
- टाइप 1: इसमें विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- टाइप 2: इसके तहत अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- टाइप 3: उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण स्नातक शिक्षा पर केन्द्रित होगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम दो मिशनों द्वारा संचालित होगा- मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला।

## अन्य प्रमुख सिफारिशें

- स्कूली शिक्षा के लिये एक स्वतंत्र नियामक 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' (SSRA) और उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
- निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र होंगे, लेकिन वे मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में वृद्धि नहीं करेंगे। 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' द्वारा प्रत्येक तीन साल की अवधि के लिए इसका निर्धारण किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए शीर्ष निकाय 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की स्थापना की जाएगी जो सतत् आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है।

## नई शिक्षा नीति का लक्ष्य

- 0-6 साल के बच्चों तक उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई (ECCE - Early Childhood Care and Education) प्रोग्राम जिनमें बच्चों को भाषा संबंधित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं की पहुँच निःशुल्क और सरल बने। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा से संबंधित सभी पहलू मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में आयेंगे।
- नई शिक्षा नीति द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से दोबारा जोड़ने और सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करवाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत 2030 तक 3-18 साल के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को विस्तारित किया गया है जिसके तहत साल 2030 तक कक्षा 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है।
- 2022 तक शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में आमूल-चूल बदलाव करना भी एक लक्ष्य है ताकि रटने के चलन को खत्म किया जा सके और हुनर एवं कौशल जैसे तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संवाद और सहयोग की क्षमता, बहुभाषिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सरोकार के साथ ही डिजिटल विकास साक्षरता को समग्र रूप में बढ़ावा दिया जा सके।

## नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों

भारत में नई शिक्षा नीति की जरूरत को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- मौजूदा शिक्षा नीति उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। उदाहरण के तौर पर उद्योग-व्यापार जगत द्वारा लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि स्कूलों और कॉलेजों से ऐसे युवा नहीं निकल पा रहे हैं जो उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से उपयुक्त हों।
- मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की एक खामी यह भी है कि देश में जिस तरह के नैतिक आचार-व्यवहार का परिचय दिया जाना चाहिए उसको यह प्राप्त करने में असफल रही है।
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान से ज्यादा महत्त्व अच्छे अंकों को दिया जाने लगा है, नतीजतन विद्यार्थियों में ज्ञान की जगह अच्छे अंकों को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है जबकि कुछ वर्षों पहले ही इस बात की अनुभूति हो गई थी कि किताबी ज्ञान का एक सीमा तक ही महत्त्व होता है इसके बावजूद नए तौर-तरीके अपनाने को प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई।
- यह बात सही है कि स्कूलों-कॉलेजों से निकले कई युवाओं ने देश-दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई है, लेकिन यह भी एक यथार्थ है कि ऐसा अवसर मुट्ठीभर छात्रों को ही मिल पाया है जिसके लिए कहीं न कहीं मौजूदा व्यवस्था उत्तरदायी है।
- शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम होता है। ऐसे में शिक्षा में असमानता राष्टीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है जिसको एक समान पाठयक्रम अपनाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन नई शिक्षा नीति का महत्त्व बढ़ जाता है।
- समान पाठयक्रम के अलावा नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि शिक्षा केवल डिग्री-डिप्लोमा पाने का जरिया और नौकरी पाने भर तक ही सीमित न रहे बल्कि इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने के साथ उनके सोचने-समझने की क्षमता भी बढ़े।
- नई शिक्षा नीति राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर देता है जिसका अभाव वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में देखा गया।

### चुनौतियाँ

नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार द्वारा शैक्षणिक ढाँचे को बेहतर बनाने का प्रयास अपने-आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनका वर्णन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- भारत में लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उल्लेखनीय है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनमें से अधिकतर बच्चे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक व दिव्यांग समूह के होते हैं।
- एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढाँचे के अभाव से संबंधित है। सामान्यत: देखा गया है कि विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर आदि की कमी होती है, नतीजतन इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 'लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस' के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था बदतर स्थिति में है।
- सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिये जो प्रयास किए जाते हैं उसके असफल होने का जोखिम रहता है। दरअसल इसकी वजह शिक्षा नीति में परिवर्तन करते समय रोडमैप का अनुसरण नहीं करना व नीतियाँ बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है।
- असर (ASER) के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में भले ही निवेश किया है लेकिन उसे अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली है। नई शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती शिक्षकों की कमी दूर करने की भी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2017 के रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में ज्यादातर स्कूल एक शिक्षक के ही भरोसे चल रहे हैं जिसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। यूजीसी (UGC) के हालिया सर्वे के मुताबिक कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर के पद, 46% एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं।
- एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की भी है। उल्लेखनीय है कि टॉप-200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को ही जगह मिल पाती है।
- शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने संबंधित फार्मूला लागू करने को लेकर भी है। आज विश्व के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
- मसौदे में मौजूद त्रिभाषा नीति भी नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौती पेश कर रही है दरअसल इसमें गैर हिन्दी भाषा क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा, अंग्रेजी भाषा के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।

### आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2019 सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को इंगित करती है लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का कार्य पूर्व में होते रहे हैं लेकिन उपलब्धियाँ सराहनीय नहीं रहीं हैं। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाये जाने की आवश्यकता है-

- इस नीति के तहत शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिक, सामाजिक संस्थाएँ, विशेषज्ञों, माता-पिता, सामुदायिक सदस्यों को अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए।
- शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच एक सहजीवी रिश्ता स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नवाचारों का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन सके जिसमें रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हों। इसके लिए जरूरी है कि उद्योग जगत शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े।
- इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को चाहिए कि विशेष महत्त्व के क्षेत्रों की पहचान कर उससे जुड़े डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधानों को वित्त मुहैया करवाएं।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों, मीडिया घरानों और पेशेवर निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग दे सकें। एक सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली से विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा।
- भारतीय विश्वविद्यालय आज भी विश्व के 100 शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हो सका है। इस सिलसिले में विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को आत्मअवलोकन कर संबंधित मानकों में सुधार करना चाहिए।
- इसके अलावा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण की विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

## 3. सिविल सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्तः एक विश्लेषण

### चर्चा का कारण

हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के मौलिक नियम 56 के तहत 12 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन अधिकारियों में से कुछ पर भ्रष्टाचार, शारीरिक उत्पीड़न के आरोप हैं जबकि कुछ अधि कारियों पर अवैध संपत्ति जुटाने के भी आरोप हैं। विदित हो कि इस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारियों आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए के अधिकारियों के साथ ही गैर-राजपत्रित अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत किया जा सकता है। गौरतलब है कि जनता के हित के लिए सरकारी विभाग से अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत देने का नियम काफी समय पहले ही वजूद में आ गया था। लेकिन सरकार ने सबसे पहले इस नियम का इस्तेमाल वर्ष 2014-2015 में करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत दिया।

### मौलिक नियम 56 (j) क्या है

सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता वाले भारतीय समाज में नौकरशाही का अपना विशेष महत्त्व रहा है। जैसे-जैसे समाज और सरकार की राजनीति,

संगठन की प्रकृति बदली वैसे-वैसे नौकरशाही प्रकृति में बदलाव आया लेकिन लालफीताशाही व भ्रष्टाचार की मानसिकता से आज तक यह नहीं उभर सकी है। इसी संबंध में

- मौलिक नियम (FR) और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCC) (पेंशन) रूल्स 1972 के तहत ग्रुप 'ए' के कर्मचारियों के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ग्रुप 'ए' के तहत विभागों के बड़े अधिकारी आते हैं। इन्हीं नियमों के तहत जरूरत समझे जाने पर जनहित में समय से पूर्व रिटायर करने का प्रावधान है। यह समीक्षा सीसीएस पेंशन रूल 1972 के एफआर 56 (j), एफआर 56 (i) और रूल 48 (1) (b) के तहत किया जाता है।
- सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम एफआर 56 (j) के तहत ग्रुप 'ए' और 'बी' के वे अधिकारी आते हैं, जो 35 वर्ष की आयु से पहले सेवा में आते हैं और समीक्षा के वक्त पचास वर्ष की आयु पार कर चुके होते हैं जबकि रूल 48 (1) (b) के तहत वे सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनके सेवाकाल के 30 वर्ष पूरा हो चुके होते हैं।
- ऐसे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को समीक्षा के बाद तीन महीने के नोटिस और तीन महीने के वेतन भत्तों के भुगतान के साथ समय से पूर्व सेवानिवृत दी जा सकती है। लेकिन वे पेंशन लाभ के हकदार नहीं होते हैं।
- इनके प्रदर्शन की समीक्षा का काम इनके पचास वर्ष की आयु या तीस वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के छह महीने पहले होना अनिवार्य होता है।
- सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के तहत स्क्रीनिंग कमेटी के गठन और उनके द्वारा की जाने वाली समीक्षा के मानकों का भी ब्योरा दिया गया है। कमेटी अपनी सिफारिशें मूलतः दो आधार पर तय कर सकती है। पहला उन सरकारी कर्मचारियों को रिटायर करने की सिफारिश की जा सकती है जिनकी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा शक के दायरे में हो। दूसरा, ऐसे कर्मचारी जो फिटनेस अथवा योग्यता के आधार पर उस पद के अनुकूल न हों, जिस पर वे आसीन हैं। उपर्युक्त में से कोई भी आधार सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

**मौलिक नियम (एफआर) और अनुपूरक नियम (एसआर)**

मौलिक नियम को स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था। यह उन नियमों का समूह है, जिससे आज तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों को संचालित किया जा रहा हैं। हलाँकि इनमे समय-समय पर संशोधन होता रहा है। वर्तमान में कुल 130 मौलिक नियम हैं। दूसरी ओर, अनुपूरक नियम विभिन्न मौलिक नियमों के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। वर्तमान में कुल 335 अनुपूरक नियम हैं।

**मौलिक नियम**

- FIR 1-9 परिचय और परिभाषाओं से संबंधित है
- FR 10-18 सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित है।
- FR 19-43 फिक्सेशन से संबंधित है।
- FR 44-48 'ए' भुगतान के लिए परिवर्धन से संबंधित है।
- FR 49 नियुक्ति के संयोजन के साथ संबंधित है
- FR 50-51A भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति से संबंधित है।
- FR 52-55 डिसमिसल / रिमूवल / सस्पेंशन से संबंधित है।
- FR 56-57 सेवानिवृति से संबंधित है।
- FR 58-104 छुट्टी से संबंधित है।
- FR 105-108 नियुक्ति के समय से संबंधित है।
- FR 109-127 विदेशी सेवा से संबंधित है।
- FR 128-130 स्थानीय फंड के तहत सेवा से संबंधित है।

**राज्य सरकार के संबंध में एफआर का विस्तार**

मौलिक नियम राज्य के समेकित निधि से भुगतान किए गए सभी राज्य सरकार के सेवकों और सरकारी सेवकों के किसी अन्य वर्ग के लिए लागू होते हैं, जिनके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन्हें लागू करने की घोषणा करती है। राज्य सरकार सेवा के संबंध में, उनके प्रशासनिक नियंत्रण में, अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा, किसी भी मौलिक नियम को संशोधित या प्रतिस्थापित करने के नियम बना सकती है।

**सेवा नियम**

मौलिक नियमों और पूरक नियमों के अलावा, कई अन्य नियम होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार की सेवा के विशिष्ट पहलुओं को विनियमित करते हैं। इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा नियम के रूप में जाना जाता है।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में कमी की व्यवस्था करने से सम्बन्धित है। यह योजना अधिक जनशक्ति को कम करने और संगठन के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाई जाती है। इसे गोल्डन हैंडशेक नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह छंटनी का एक स्वर्णिम तरीका है।

## अन्य अधिनियम

अधिकारियों के सेवा नियम तथा बर्खास्तगी के नियम संविधान के अनुच्छेद 311 में भी वर्णित हैं। इस अनुच्छेद में संघ या राज्य के तहत सिविल सेवाओं वाली रैंक के व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या उसमें कमी के मामलों का वर्णन है।

- अनुच्छेद 311 के अनुसार, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किये जाने का वर्णन है।
- इसके अलावा, उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसे पदों से निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसमें जांच के बाद उसके खिलाफ आरोप साबित हुए हों और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित मौका दिया गया हो।
- विदित हो कि सिविल सेवा ऑफिसरों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा सरकार उसको भारतीय गजट में अधिसूचित करती है इसीलिए यह अधिकारी गजेटेड अधिकारी भी कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति के सिवाय इन अधिकारियों को कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्य सरकार भी इनको सिर्फ निलंबित ही कर सकती है, बर्खास्तगी का अधिकार राज्य सरकार के पास भी नहीं है।
- आम तौर पर एक कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले दो तरीके अपनाए जाते हैं- पहला आरोपों की जाँच और बाद में बर्खास्त किया जाना। लेकिन इसे संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम के तहत बदल दिया गया है। इसके तहत जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बर्खास्तगी, पद से हटाने या रैंक में कमी की सजा दी जा सकती है।

## संवैधानिक संरक्षण

अधिकारी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य, निर्भिकता व ईमानदारी से कर सकें, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 311 में सरकारी सेवकों को कुछ रक्षोपाय और संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये संरक्षण केवल निम्नलिखित सेवकों को ही उपलब्ध हैं-

- संघ या राज्य की सिविल सेवा के सदस्य
- अखिल भारतीय सेवा के सदस्य
- वे व्यक्ति जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करते हैं।

रक्षा सेवाओं में जो सिविल कर्मचारी होते हैं उन्हें यह अधिकार नहीं मिलते। सशस्त्र बलों के लिए विशेष अधिनियम हैं, जैसे थल सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 311 में दो रक्षोपायों का वर्णन है-

अनुच्छेद 311 का खंड (1) यह कहता है कि जिस व्यक्ति को अनुच्छेद 311 का संरक्षण प्राप्त है उसे ऐसे प्राधिकारों द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा जो उसकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ हो।

ऐसे व्यक्ति को बिना जांच के पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जाएगा या पद से अवनत नहीं किया जाएगा। जाँच में निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है-

- उसके विरुद्ध क्या आरोप है यह सूचित किया जाएगा और
- सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

विदित हो कि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के पूर्व सुनवाई का अवसर दो बार दिया जाता था। पहले, उसके विरुद्ध आरोप की बाबत और दूसरे जब शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव होता था। अब 42वें संशोधन के पश्चात् नियम यह है कि जाँच के दौरान जो साक्ष्य पेश किया जाता है, उसके आधार पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। वहीं दूसरी सुनवाई का अवसर देना विधि की अनिवार्यता नहीं रह गयी है। विधि को परिवर्तित कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि सेवकों का निलंबन न तो पदच्युति है न पद से हटाया जाना अतएव जो कर्मचारी निलंबिल किया गया है वह अनु. 311 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।

साधारणतया नियोजन के नियमों में यह उपबंध होता है कि जब कोई सरकारी सेवक विहित अवधि तक सेवा कर लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। समय पूर्व सेवानिवृत्त लोकहित में की जाती है।

यदि सेवानिवृत्त करने का निश्चय सद्भावनापूर्वक लिया गया है तब न्यायालय में यह आक्षेप नहीं किया जा सकता कि निर्णय सही नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्त को दंड नहीं माना जाता है। जबकि पदच्युति का आदेश दंड देता है क्योंकि इसके पश्चात् पेंशन नहीं मिलती। पद से हटाने का आदेश भी दंडस्वरूप होता है। इसके भी परिणाम वही हैं बस अंतर यह है कि जिस सेवक को पदच्युत किया जाता है वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता जो पद से हटाया जाता है वह नियुक्त किया जा सकता है। वहीं जब व्यक्ति अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है वह पेंशन फायदों का हकदार होता है। यह दंडस्वरूप नहीं होती।

अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत स्थायी और अस्थायी दोनों सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकारी सेवक को एक मूल्यवान अधिकार देता है। उसे जांच के पश्चात् ही पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है या पंक्ति से अवनत किया जा सकता है। जाँच में निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है-

- उसे यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है?
- उसे आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए।

## सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट नियम एफआर 56(j) की वैधता को न केवल सही ठहरा चुका है बल्कि उसके मुताबिक किसी कर्मचारी को इस नियम के प्रावधान के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत करने का नोटिस देने से पहले कारण बताओ नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है।

लेकिन कोर्ट ने यह भी चेताया है कि किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त के संबंध में फैसला न तो मनमाने तरीके से और न ही उसकी मुख्य जिम्मेदारी से इतर आधार पर होने चाहिए।

बैकुंठ नाथ बनाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी (1992), गुजरात राज्य बनाम उम्मेदभाई एम पटेल (2001) आदि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्त के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत जारी किए हैं जो इस प्रकार हैं-

- जब किसी लोक सेवक की सेवा सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं होती है, तो अधिकारी को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
- अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत दंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- अनिवार्य सेवानिवृत्त को दंडात्मक उपाय के रूप में लागू नहीं किया जाएगा।
- सरकार या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा।
- ठीक इसी तरह के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 सितंबर 2011 को संदिग्ध निष्ठा से संबंधित न्यायाधीशों के मामले में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त का निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस निर्णय में यह भी बताया कि संदिग्ध निष्ठा वाले न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, भले ही उनकी उम्र 50 वर्ष न हुई हो।
- दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा संहिता के एफआर 56 (जे) के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को, जो 35 वर्ष की आयु से पहले नौकरी में शामिल होता है तो उसे 50 वर्ष से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है, अन्य मामले में यह सीमा 55 वर्ष की है।

## आगे की राह

अनुच्छेद 311 के माध्यम से भारत का संविधान, सरकारी सेवा में सिविल सेवकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करता है, मनमानी बर्खास्तगी, हटाने और रैंक में कमी के खिलाफ उन्हें संरक्षण देता है। इस तरह की सुरक्षा सिविल सेवकों को उनके कार्यों को साहसपूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। लेकिन सार्वजनिक हित और सुरक्षा को कर्मचारियों के अधिकारों से अधिक प्रमुखता दी गई है। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 311 में कानून के पूरक के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण दिए हैं।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में रक्षा और रेलवे कर्मचारियों सहित लगभग 48.41 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। रेलवे, सशस्त्र बल, डाक विभाग, केंद्रीय विद्यालय आदि सहित विभिन्न विभागों में लगभग 6 लाख पद खाली हैं। नई सरकार प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए अगले कुछ वर्षों में सरकार में महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती में तेजी लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में सरकार का हालिया कदम सराहनीय है जो यह संदेश देती है कि भ्रष्टाचार, काम में लापरवाही, कामचोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

■

# 4. पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था एवं भारत पर उसका प्रभाव

### चर्चा का कारण

हाल ही में आईएमएफ (IMF) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने विकास दर की सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आइएमएफ ने उसे 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज देने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई है और व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है जिसका कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का होना है। इसका एक अन्य प्रमुख कारण पाकिस्तानी मुद्रा का अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा 20 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन होता है।

### पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार पिछले वर्ष पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 5.2 फीसदी थी जो इस वर्ष घटकर 3.4 फीसदी पर आ गई है। अगले वर्ष इसमें और गिरावट होने का अनुमान है। विशेषज्ञों की मानें तो अगले वर्ष यह 2.7 फीसदी रह सकती है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी जनता महँगाई की मार से बेहाल है। इसी वर्ष मार्च में महंगाई दर बढ़कर 9.41 फीसदी हो गई, जो 2013 के बाद से सबसे अधिक है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार देश में पेट्रोल 112.68 रुपये, डीजल 126.82 रुपये और केरोसिन तेल 99.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की केन्द्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 50 फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 10.75 फीसदी कर दिया है।

साल 2018 के आंकड़े कहते हैं कि पिछले एक दशक में पाकिस्तान का कर्ज 28 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 10 अरब डॉलर से नीचे पहुँच चुकी है। पाकिस्तान को अपनी सभी देनदारियाँ चुकाने के लिए जून 2018 तक करीब-करीब 17 अरब डॉलर की जरूरत थी जिसे वह जुटा नहीं पाया था। उसका बजटीय घाटा 1.48 लाख करोड़ के पार हो गया है। पाकिस्तान निर्यात की तुलना में आयात पर अधिक खर्च कर रहा है। उसका चालू खाता घाटा वर्ष 2015 के 2.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 18.2 बिलियन डॉलर हो गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का खजाना खत्म होने के कगार पर है। सरकार का बाह्य ऋण भी जून 2018 के 64.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर जनवरी 2019 में 65.8 बिलियन डॉलर हो गया है।

आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान की मुद्रा स्फीति दर 9.4 प्रतिशत के आंकड़े को छू रही है जो कि पिछले पाँच वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर है। अर्थव्यवस्था की इन समस्याओं से तुरंत राहत के लिए सऊदी अरब, यूएई और चीन के द्वारा 8 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान सरकार को प्राप्त हुआ है।

### पाकिस्तान के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

पाकिस्तान जो अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से परेशान है, के सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

**बेरोजगारी:** बेरोजगारी पाकिस्तान की एक बड़ी समस्या है और इस समस्या पर भारत द्वारा कई बार यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को सीमा पर लड़ने के बजाय सीमा के अन्दर विद्यमान बेरोजगारी और गरीबी से लड़ना चाहिए। हालाँकि पाकिस्तान इस पर कम ही ध्यान देता है। चूंकि पाकिस्तान भी भारत की तरह एक युवा देश है, अर्थात यहाँ की 63% आबादी युवा है। यहाँ पर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं के लगभग 50% आबादी को ही रोजगार मिल पाया है जबकि अन्य लोगों की स्थिति अत्यधिक खराब है। उसमें भी महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी खतरे की घंटी है।

**स्वास्थ्य:** कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन इस संदर्भ में पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पाकिस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढाँचा का अभाव है। वहाँ के अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों एवं बिस्तरों की भारी कमी है। आँकड़ों के अनुसार जन्म लेने वाले प्रत्येक 1000 शिशुओं में 66 शिशुओं की मृत्यु एक वर्ष से पहले हो जाती है। यहीं नहीं महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु दर भी काफी ऊँची है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी बच्चों के लिए उचित सुविधाएँ नहीं होने से कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं।

**भ्रष्टाचार:** विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो लेकिन यदि पाकिस्तान की बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में वह उच्च स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों की सूची में पाकिस्तान 117वें स्थान पर है। वहाँ पर आजादी के बाद से ही राजनेताओं और नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किये गये हैं साथ ही कई राजनेताओं को तो जेल तक जाना पड़ा है।

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का एक रूप यह भी है कि वहाँ पर धन का संकेन्द्रण कुछ ही परिवारों के पास है। परिणामस्वरूप वहां की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।

**ऊर्जा:** ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की धमनी होती है। पाकिस्तान आजादी के बाद से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है जो उसके अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का लगभग 80 फीसदी बिजली का उत्पादन कर पा रहा है, ऐसे में वह इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका की मदद चाहता है।

यह सर्वविदित है कि कुछ इलाकों में बिजली की कटौती 20-20 घंटे होती है जिससे व्यवसाय से लेकर शिक्षा तथा स्वास्थ्य तक पर असर पड़ता है। अभी कुछ ही वर्ष पहले पाकिस्तान ने भारत से 500 मेगावाट बिजली लेने की बात कही थी। वह यह भी चाहता है कि भारत में पंजाब से लाहौर तक बिजली की हाई वोल्टेज लाइन खींची जाए जिससे बिजली की आपूर्ति हो सके।

**शिक्षा:** यदि शिक्षा के स्तर पर देखा जाय तो पाकिस्तान की निम्न शिक्षा दर उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। जहाँ भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है वहीं पाकिस्तान की साक्षरता दर लगभग 60% है। आँकड़ों के अनुसार लगभग 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा जो शिक्षा उपलब्ध है वह भी परंपरागत है अर्थात वाणिज्यिक और उच्च शिक्षा की बेहद कमी है।

**आतंकवाद:** 2018 की अपनी नवीनतम रैंकिंग में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (जीटीआई) ने तीन दक्षिण एशियाई देशों (अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान) को आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में पाकिस्तान को 5वें स्थान पर रखा गया है आतंकवाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।

उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियाँ तेज होने लगी जो उसकी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खत्म कर रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट के अनुसार वह आतंकवादियों से लड़ने के लिए अब तक 118 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। इसके बावजूद वह आतंकवादी देश होने का ठप्पा नहीं हटा सका है जिसका कारण यह है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आतंकवाद के कारण उसको जन-धन की व्यापक क्षति उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी छवि खराब हो रही है।

**जल संकट:** पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या पानी को लेकर है। खासकर पेयजल की समस्या तो अधिक विकराल है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तानी रिपोर्ट के अनुसार वहां पर लगभग दो तिहाई लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। यही नहीं पानी का भंडार भी वहाँ पर बहुत कम है। हाल ही में पठानकोट और उरी आतंकवादी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर खींच-तान बढ़ गयी थी। इस दौरान भारत ने कहा था कि वह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सिन्धु जल समझौते पर पुनर्विचार कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गयी थी।

पाकिस्तान की आजादी के समय हर पाक नागरिक के हिस्से में 5600 क्यूबिक मीटर पानी आता था, जबकि आज यह घटकर 1000 क्यूबिक मीटर हो गया है।

## भारत पर प्रभाव

कहा जाता है कि एक परिवार तभी विकास कर सकता है जब परिवार के सभी सदस्यों का आर्थिक और सामाजिक विकास हो। यही स्थिति आज विश्व की है। विश्व भी एक वैश्वीकरण के दौर में परिवार के रूप में तब्दील हो चुका है। अत: विश्व का विकास तभी हो सकता है जब सभी देशों का विकास हो।

जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान भारत का न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि वह भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण से सहयोगी भी है। इसलिए यदि पड़ोसी पाकिस्तान चाहे आर्थिक या राजनीतिक किसी भी स्तर पर दिवालिया होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के हित आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम सिर्फ आर्थिक स्थिति की बात करें तो भी यह कई मायने में महत्वपूर्ण है।

विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापारिक भागीदारी 37 बिलियन डॉलर की है, वह भी तब जब मतभेद चरम पर है। अत: यदि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान भारतीय कपास का सबसे बड़ा खरीददार है। वर्ष 2017-18 में उसने भारत से लगभग 2.5 मिलियन गाठे (1 गाठ = 170 किग्रा) खरीदी। यही नहीं 2016-17 में भारत से पाकिस्तान को लगभग 50 मिलियन डॉलर मूल्य के चीनी का निर्यात हुआ था।

भारत पारंपरिक रूप से पाकिस्तान को मांस, रसायन, कलाकृतियाँ, दवाएं और कृषि उत्पादों की आपूर्ति करता रहा है जबकि भारत पाकिस्तान से सुपारी (NUTS), फल, सीमेंट, चमड़े के उत्पाद, कुछ रसायन तथा कुछ खाद्यानों का आयात करता है। हालांकि इन व्यापारिक गतिविधियों का सर्वाधिक लाभ पाकिस्तान को ही मिलता है क्योंकि वह भारत से किये जाने वाले ज्यादातर व्यापार (लगभग 936 उत्पाद) पर आयात शुल्क ज्यादा लगाता है जबकि भारत उसके कुछ ही उत्पाद (लगभग 25) पर अत्यधिक आयात शुल्क लगाता है। ज्यादातर पाकिस्तानी उत्पादों को भारत ने करमुक्त कर रखा है। इस तरह यदि पाकिस्तान अपनी आर्थिक गतिविधियों को सही तरीके से चला पाता है तो वह भारत से व्यापार का लाभ उठा सकता है।

हालांकि इसके विपरीत आईएमएफ द्वारा जारी किये गये राहत कोष (बेल आउट पैकेज) को लेकर भी भारत की चिंता बढ़ गई है क्योंकि अकसर ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान को जब भी राहत के नाम पर पैसा मिलता है, तो उसका इस्तेमाल वह आर्थिक विकास में न लगाकर आतंकी गतिविधियों पर करता है। इससे भारत को सीमा सुरक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना पड़ता है। चूंकि भारत और पाकिस्तान के लोग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे के काफी करीब हैं इसलिए पाकिस्तान की खराब स्थिति भारत को चिंतित कर सकती है।

## बेहतर संबंध के समक्ष

भारत की नीति शुरू से ही 'पड़ोसी प्रथम' की रही है इसलिए वह अपने पड़ोसी देशों के साथ सर्वथा संबंध बेहतर रखना चाहता है। पाकिस्तान के पड़ोसी होने के नाते आजादी के बाद से ही भारत बेहतर संबंध की पहल करता रहा है। सरकार के द्वारा बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहे हैं और भारत आगे बढ़कर इसकी पहल भी करता रहा है। हालांकि यह सर्वविदित है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उसे निराशा ही हाथ लगी तथा धोखा ही मिला है। चाहे वह 1947, 1965, 1999 या फिर वर्तमान समय रहा हो। पाकिस्तान हर बार शांति व भाईचारे की बात करता है लेकिन कार्य इसके विपरीत करता है। परिणामस्वरूप भारत सरकार को भी बाध्य होकर कोई ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं। भारत सरकार का कहना है कि बात-चीत को आगे बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन पाकिस्तान में स्थिर सरकार के न होने से तथा शासन में सेना के दखल से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है।

भारत सरकार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान जब तक अपने यहाँ से आतंकवादी गतिविधियों को बंद नही कर देता तब तक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

इधर हाल के वर्षों में पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ भी भारत सरकार को अपने हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि चीन भारत का प्रतिद्वंद्वी है और उसका भारत के साथ कई मुद्दों पर विवाद है इसलिए यदि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई कार्य करता है तो भारत का परेशान होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई आर्थिक गतिविधियाँ भी दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास ला रही हैं।

## भारत सरकार के प्रयास

भारत सरकार पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहता है ताकि दक्षिण एशिया में शांति बहाल हो सके तथा सबका साथ सबका विकास की अवधारणा भी पुष्ट हो सके। भारत सरकार ने आजादी से लेकर अभी तक कई कार्य किए हैं जिससे दोनों के संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। इसे निम्न उदाहरणों के तहत देख सकते हैं-

- **सदा-ए-सरहद बस सेवा:** भारत दोनों देशों के नागरिकों की आवागमन की सुविधा के लिए यह बस सेवा 1999 में शुरू की थी।
- **खेल:** खेल के माध्यम से चाहे वह क्रिकेट हो या फिर हॉकी भारत सरकार सदा पाकिस्तान से मधुर संबंधों को बढ़ावा देती रही हैं।
- **आर्थिक:** आर्थिक संबंध बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार आयात-निर्यात पर ज्यादा ध्यान देती है। कई बार तो यह द्विपक्षीय व्यापार भारत के विपरीत रहता है फिर भी भारत सरकार इसे सुचारु रखती है।
- **राजनीतिक:** आजादी के बाद से अब तक हजारों बार पाकिस्तान के द्वारा सीमा समझौते का उल्लंघन किया जा चुका है फिर भी भारत सरकार पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाती रही हैं।

- **पर्व-त्योहार:** भारत द्वारा पर्व-त्योहार के समय में भी सीमा पर शांति बहाली की कोशिश की जाती है। सेना के जवान पाकिस्तानी सेना के साथ उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं जो भारत की सकारात्मक सोच का एक हिस्सा है।
- **समाज:** सामाजिक स्तर पर भी भारत पाकिस्तान के साथ सर्वथा खड़ा रहा है। जब भी कोई आपदा आती है चाहे वह बाढ़, सूखा, भूकंप आदि कोई भी उसमें भारत पाकिस्तान का साथ देता है।
- **धर्म:** दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने में धर्म भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई बार पाकिस्तानी धर्म गुरू भारत आते हैं और समाज में मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। भारत सरकार उन्हें समुचित सुरक्षा मुहैया कराती है।
- **आधारभूत ढाँचा:** भारत की कई कंपनियाँ पाकिस्तान में निवेश करना चाहती हैं लेकिन सुरक्षा न होने के कारण निवेश नहीं कर पाती हैं। हालांकि करतारपुर गलियारा इसका एक बेहतर उदाहरण है जिसपर भारत-पाकिस्तान कार्य कर रहे हैं।

### आगे की राह

पाकिस्तान को अपनी खराब होती अर्थव्यवस्था पर जल्द से जल्द ध्यान देना होगा नहीं तो समय दर समय उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। बेलआउट पैकेज कोई स्थायी समाधान नहीं है बल्कि यह तात्कालिक अर्थव्यवस्था को संभालने का एक उपाय है। पाकिस्तान को व्यापार लागत कम करते हुए निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना चाहिए। साथ ही पूरे अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए व्यापक नीतिगत बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि खराब होती पाकिस्तान की हालत भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। अतः भारत को भी यह ध्यान देना होगा कि बिना पाकिस्तान में शांति स्थापित हुए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना मुश्किल है। चूंकि वह पाकिस्तान के करतूतों को अच्छी तरह समझता है फिर भी भारत को बात-चीत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।

भारत जब आसियान, बिम्सटेक आदि जैसे संगठनों को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है तो उसे यह भी ध्यान देना होगा कि इन संगठनों में पाकिस्तान भी शामिल हों ताकि इस क्षेत्र की बराबर भागीदारी इनमें बनी रहे।

यदि भारत पाकिस्तान को अलग-थलग कर देता है तो इससे पाकिस्तान की स्थिति और खस्ता हो जाएगी और हो सकता है इससे आतंकवादी गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी पाकिस्तानी युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं।

हालाँकि इन सब के अलावा पाकिस्तान को भी चाहिए कि वह भारत की संप्रभुता का सम्मान करें तथा उसके द्वारा किये जा रहे पहल का ध्यान रखें क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अतः पाकिस्तान के हित में यही है कि वह भारत से बात-चीत के रास्ते को आगे बढ़ाये तथा आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाये जिसके लिए भारत हमेशा कहता रहा है।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

# 5. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती विदेश नीति

### चर्चा का कारण

हाल ही में भारत में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जो अपनी विदेश नीति को एक नया आयाम देने के लिए प्रयत्नशील है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री को कई विकसित व विकासशील देशों का दौरा करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व इस समय कई समस्याओं व विचारधाराओं में बँटा हुआ है। ऐसे में भारत की विदेश नीति क्या हो और उसे विश्व पटल पर कैसे क्रियान्वित किया जाये यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

### भारत की विदेश नीति क्या है

भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को सुरक्षित करना है। हमारी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत हैं-सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सद्इच्छा एवं सहयोग को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोध करना तथा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करना। इसके अलावा राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना, शस्त्रीकरण का विरोध करना एवं निःशस्त्रीकरण अभियान का समर्थन करना, मानवाधिकारों का सम्मान करना एवं जाति, प्रजाति, रंग, नस्ल, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव एवं असमानताओं का विरोध करना तथा पंचशील एवं गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना।

### पृष्ठभूमि

भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसमें रुचि लेने तथा भारत के भविष्य का निरूपण करना शुरू कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 1927 में जवाहर लाल नेहरू को अपना प्रवक्ता बनाकर विदेश नीति विभाग की स्थापना कर ली थी। स्वतंत्रता के बाद पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आगे बढ़ी। पं. नेहरू की नीति गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थात वह किसी भी विशेष गुट में शामिल होने के बजाय अपनी स्वतंत्र सोच में विश्वास करते थे। चूंकि केन्द्र में लम्बे समय तक काँग्रेस की सरकार रही इसलिए यही नीति प्रभावी रही। वर्ष 1977 में केन्द्र में जनता दल की सरकार बनने के बाद भी देश की विदेश नीति के मूल सिद्धांत बिना किसी मौलिक परिवर्तन के जारी रही।

वर्ष 1990 तक आते-आते देश की विदेश नीति का एक नया दौर आया। यह वह दौर था जब दुनिया एक युगान्तकारी घटना से गुजर रही थी, जिसे भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। दरअसल वर्ष 1991 में द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया। अब शक्ति का एक मात्र केन्द्र अमेरिका था क्योंकि दूसरा ध्रुव जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था का विघटन हो गया था। इस दौर में भारत का झुकाव धीरे-धीरे अमेरिका की तरफ होने लगा। हालांकि भारत ने रूस से भी अपने संबंधों को बनाये रखा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी

वाजपेयी के समय में भारत की विदेश नीति का एक स्वर्णिम युग रहा और भारत ने विश्व के साथ बेहतर जुड़ाव में सफलता हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सरकार में भी भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में कई सफलताएँ हासिल कीं। वर्तमान सरकार की विदेश नीति भी वसुधैव कुटुम्बकम् के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि वर्तमान सरकार की नीति में पड़ोसी प्रथम और आर्थिक आयाम के पहलू ज्यादा हैं।

## भारत की वर्तमान विदेश नीति

वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत वैश्विक शक्तियों के साथ आगे बढ़ने और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करते हुए भारत के सामरिक स्वायत्तता को बनाये रखना है।

वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया गया है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है। वर्तमान में भारत अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका और रूस को संतुलित रूप से साथ लेकर चल रहा है। सामरिक के साथ-साथ वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों पर फोकस कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि पहले विदेशी दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रणनीतिक रूप से हिंद महासागर के द्वीपीय देश मालदीव को चुना है। पिछले साल हुए चुनाव में मालदीव की जनता ने चीन समर्थित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालांकि उससे पहले ही वहाँ की सरकार कई छोटे-छोटे द्वीप, चीन को पट्टे पर दे चुकी थी। मालदीव में लोकतंत्र बहाली के बाद से भारत ने उसे पूरी उदारता से वित्तीय मदद मुहैया कराई है। इससे मालदीव को चीनी कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिली है।

वर्तमान सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाते हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की 'पड़ोसी को प्राथमिकता' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट दक्षेस का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्सटेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है।

वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल अक्टूबर में शी चिनफिंग को 'अनौपचारिक सम्मेलन' के लिए भारत आमंत्रित किया है। इसके पहले संबंधों में तल्खी दूर करने के लिए इससे पहले चीन के वुहान में दोनों नेता ऐसी एक बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका से रिश्ते बेहतर होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को साध पाना भारत के लिए खासा चुनौतीपूर्ण होगा। ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने से ट्रंप पहले ही भारत पर बोझ बढ़ा चुके हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि किसी भी देश की विदेश नीति केवल नई सरकार आ जाने से अपने पुराने संबंधों को तोड़ नहीं देती। वर्तमान सरकार की 'पड़ोस पहले' नीति कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की दशकों पुरानी नीति के अनुसार ही है, जिसने भारत के पड़ोसियों के साथ दोस्ती पर जोर दिया था। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है। इसी तरह, अफगानिस्तान के साथ संबंध दोस्ताना ही रहे हैं, जहाँ आम जनता के सकारात्मक भाव से रिश्तों में बढ़ोतरी तो हुई है और उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हट कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकाल कर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया। हालाँकि 2015 से भारत-समर्थक मैत्रीपाल सिरीसेना सरकार के सत्ता में होते हुए भी, श्रीलंका द्वीप पर भारत चीन की रणनीतिक जगह को कम करने में बहुत सफल नहीं रहा है, जो आशा के विपरीत है। नेपाल और पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी चुनौती को रेखांकित करते हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध सख्त गतिरोध में फंसे हैं। ये संबंध 2008 के मुंबई हमलों के बाद से सबसे अधिक कटुतापूर्ण स्थिति में हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का बलूचिस्तान का उल्लेख, कुलभूषण जाधव विवाद, पठानकोट, उरी हमला तथा भारत द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक आदि ने दोनों देशों के रिश्तों में अधिक दूरियाँ पैदा की हैं। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारत की मदद और समर्थन के होते हुए भी, नेपाल के नए संविधान ने काठमांडू और नई दिल्ली के बीच दरार पैदा की और मधेसी आंदोलन के कारण यह दरार और भी चौड़ी हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से संकेत मिलता है कि नेपाल में भारत का प्रभाव कम हो रहा है और चीन भारत की जगह लेने को इच्छुक है। इस संबंध में भारत नेपाल को साधने के प्रयास में लगा हुआ है।

मॉरीशस और सेशेल्स के द्वीप देशों की यात्रा और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ संबंध बनाने के अलावा, भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक मजबूत नींव बनायी है। ऊर्जा, सामरिक और आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे महत्वपूर्ण थे और इन दौरों ने हिंद महासागर में भारत की समुद्री भूमिका पर जोर दिया। आईओआर में नई दिल्ली की विदेश नीति को एक विशेष प्रोत्साहन मिला जब जनवरी 2016 में विदेश मंत्रालय में एक अलग आईओआर डिवीजन की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' में नयापन और सामरिक गंभीरता आई, जो 1990 के दशक की नीति का पुनर्जागृत रूप है। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक्ट ईस्ट दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में भारत की उत्सुकता को भी दर्शाती है।

भारत की विदेश नीति में आए बदलाव से भारत और जापान के बीच संबंध गहरे हुए हैं और ये संबंध 2015 में बढ़ कर 'विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी' तक पहुँच गए हैं। भारत और जापान के बीच निर्बाध समन्वय, अवसंरचना सहयोग, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चिंताओं के कारण भारत ने बेल्ट और रोड फोरम को छोड़ दिया और चीन पर नजर बनाए रखने के साथ, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सहयोग स्थापित करने के लिए वार्ता में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के मामले में सफल रही, जहाँ द्विपक्षीय भागीदारी के मामले में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, आधारभूत लॉजिस्टिक समझौतों और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर प्रगति दिखाई। दोनों देशों के बीच संबंध साझा हितों के कारण बढ़े हैं।

हालांकि इस बीच रूस के साथ संबंध प्रभावित हुए हैं क्योंकि भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण भारत-अमेरिका के संबंध घनिष्ठ हुए हैं, विशेष रूप से रक्षा मामलों में, इसके विपरीत रूस, चीन और पाकिस्तान के संबंध आपस में मजबूत हुए हैं।

## चुनौतियाँ

विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत दूरवर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करना भी एक बड़ी चुनौती होगी।

देखा जाये तो चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये तथा दरियादिली से खैरात बांटकर भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

चीन, रूस और भारत के पारंपरिक एवं पारस्परिक संबंधों में खटास लाने की भी कोशिश कर रहा है। रणनीतिक वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जैसे- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के हमारे प्रयासों को विफल करना आदि। चीन-पाकिस्तान-रूस के बीच कुछ समय पहले हुई बैठकें तथा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले होने के बावजूद रूस-पाकिस्तान सैन्य अभ्यास इसका एक अन्य उदाहरण है।

रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से "भरोसेमंद और पुराने दोस्त" या "रूसी-हिंदी भाई भाई" जैसे भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी अब वह स्थिति नहीं है। हालाँकि भारत के साथ आर्थिक रिश्ते रूस को बेहतर संबंध बनाये रखने के लिये मजबूर कर सकते हैं क्योंकि खनिजों तथा हीरों के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत अब भी उसके सबसे बड़े बाजारों में शामिल है।

जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो वहाँ भारतीय समुदाय का मजबूत प्रभाव तथा राष्ट्रपति ट्रंप की कारोबारी रुख रखने वाली टीम उसे भारत की ओर केंद्रित रखने में सहायक हो सकती है। रोजगार और विनिर्माण गतिविधियाँ वापस अमेरिका में लाने तथा कर ढाँचों में प्रस्तावित बदलावों की नीतियों से भारत में अमेरिकी वित्तीय निवेश में कमी आने की आशंका तो है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

## आगे की राह

वर्तमान सरकार की विदेश नीति एक नये आयाम के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें अभी भी किया जाना बाकी है जैसे-

- भारत की प्रथम पड़ोस की नीति अच्छी है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने दूर के मित्रों की अवहेलना न कर बैठें। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 'विश्व बंधुत्व' की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाय।
- वर्तमान विश्व में संबंधों के आयामों को आर्थिक आधार पर तौला जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हित के हिसाब से ही विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए।
- वर्तमान में अमेरिका-ईरान, इजरायल-फिलीस्तीन, चीन-अमेरिका, अमेरिका-रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गये हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।
- आधुनिक युग में विदेश नीतियाँ प्रत्येक घंटे परिवर्तित होती रहती हैं तथा मौसम के हिसाब से रंग बदलती हैं। ऐसे में विदेश नीति का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जॉन एफ कैनेडी ने भी कहा था कि घरेलू नीतियों की गलतियाँ हमें हरा सकती हैं किन्तु विदेश नीतियों की गलतियाँ हमारे प्राण ले सकती हैं। विदेश नीति के संदर्भ में इस कहावत पर विचार करना होगा।
- पाकिस्तान को कुछ समय के लिए अलग-थलग करना सही हो सकता है लेकिन दीर्घ समय के लिए यह सही नहीं है। इसलिए बात-चीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है।
- रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है इसलिए अमेरिका से मजबूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक हैं।
- भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पड़ोसी देशों को लगे कि वे सब साथ मिलकर चल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 'बिग ब्रदर्स सिंड्रोम' की स्थिति में भारत आ जाएगा जो भारत के लिए सही नहीं है।
- नई सरकार को सोचने और नये तरीके से कार्य करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन उसे पहले की सरकारों द्वारा लागू विदेश नीति पर भी ध्यान देना होगा जिससे कि भारत अपनी वास्तविक पहचान को बनाये रख सके।
- हमें भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

# 6. डिजिटल भुगतानः न्यू इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक

## चर्चा का कारण

हाल ही में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति ने विभिन्न हितधारकों से डिजिटल भुगतान के संबंध में विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस सीमिति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटलीकरण के जरिए वित्तीय समावेशन लाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर परामर्श देना था। भारतीय रिवर्ज बैंक अब समिति की सिफारिशों की जाँच करेगा और जरूरत के अनुसार क्रियान्वयन के लिए भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण 2021 में शामिल करेगा।

## रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बातें

- सरकार को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये किसी भी डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटाना चाहिए।
- राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं और केन्द्रीय विभागों को किए गए डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ताओं से कोई सुविधा शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान व्यवस्था की निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को मिलकर एक उचित व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए।
- सरकार को सामान्य पैमाने के साथ-साथ किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले विकास की जानकारी के लिए डिजिटल फाइनेंशियल इनक्लूजन इंडेक्स तैयार करना चाहिए, ताकि असंतुलन के हालात में सुधार के लिए उचित प्रावधान किया जा सके।
- समिति ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कम करने की सिफारिश की है, साथ ही समिति ने माना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'लेन-देन' पर वस्तु एवं सेवा कर को कम करना जरूरी है।
- समिति के अन्य सिफारिशों में डिजिटल क्रेडिट और डिजिटल डेबिट के बीच के अंतर को कम करना, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) जैसी प्रणालियों में उचित सुधार करना शामिल है।

## डिजिटल भुगतान क्या है

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली गत वर्षो में काफी मजबूती के साथ विकसित हो रही है। यह सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास से प्रेरित होने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली के अनुरूप भी है।

जहाँ तक डिजिटल भुगतान की बात है तो इसे सामान्यत: डिजिटल लेन-देन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा धन का हस्तांतरण अधिकृत करता है अर्थात् धन का प्रवाह सीधे एक खाते से दूसरे खाते में होता है। उल्लेखनीय है कि यह खाते बैंकों में अर्थात् संस्थाओं, प्रदाताओं में हो सकते हैं। धन का यह हस्तांतरण, कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) मोबाइल वॉलेट, मोबाइल एप्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), प्रीपेड उपकरणों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार के माध्यम से किया जाता है।

## डिजिटल भुगतान की वर्तमान स्थिति

- देश में डिजिटल भुगतान ने वित्तीय लेन-देन की स्थिति बदल दिया है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण होने के पश्चात् डिजिटल ट्रांजेक्शन लगभग 1 बिलियन से अधिक के आंकड़े को पार कर गया है।
- आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड, खुदरा डिजिटल भुगतान के प्रमुख स्रोत बन गए हैं वहीं यूपीआई और 'प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) का चलन बढ़ा है।
- आँकड़े बताते हैं कि पीपीआई (Payment Protection Insureance) के माध्यम से होने वाला लेन-देन वर्ष 2016-17 में बढ़कर 36% हो गया जो 2014-15 में 18% था वहीं यूपीआई के जरिये होने वाला लेन-देन जनवरी में 4.2 मिलियन से बढकर सिंतबर 2017 में 30 मिलियन हो गया था।
- वर्ष 2017-18 में RTGS एवं NEFT के माध्यम से किया गया लेन-देन देखा जाए तो संयुक्त रूप से डिजिटल भुगतान के कुल मूल्य का लगभग 53% था जो वर्ष 2011-12 के लगभग समान रहा।
- मोबाइल द्वारा भुगतान वित्त वर्ष 2018 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त भारत में आज पेटीएम एक बैंक के रूप में उभरा है, जिसके सात मिलियन ग्राहक हैं।
- उपर्युक्त आकड़े इस बात की पुष्टि करते है कि अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की गति संतोषजनक कही जा सकती है।

## भारत में डिजिटल भुगतान की आवश्यकता क्यों

भारत में डिजिटल भुगतान की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- सुविधाजनक नकद रहित लेन-देन लोगों को कम समय में अधिक खरीदारी करने में सक्षम बना सकती है जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि, अधिक उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा नतीजतन रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- डिजिटल भुगतान से सरकार के पास अनुसंधान और नीतियों के बेहतर निर्धारण के लिए डाटा उपलब्ध हो सकेगा। भारत के लिए यह एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है चूंकि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के साथ ही पूरे वित्तीय विकास पर योजनाबद्ध ढंग से नजर भी रखी जा सकेगी।
- बढ़ते डिजिटल भुगतान के साथ, नकदी के प्रवाह पर निगरानी से उसके उत्पादन और वितरण लागत को कम किया जा सकता है।
- विदित हो कि विभिन्न स्तरों पर नकदी के मैनुअल अकाउंटिंग में एक बड़ा खर्च शामिल होता है, जिसे अर्थव्यवस्था के नकदी रहित बन जाने पर खत्म किया जा सकता है साथ ही चोरी के खतरे को भी कम किया जा सकता है।
- डिजिटल भुगतान सभी लेन-देन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चूंकि सब कुछ डिजिटल रूप से दर्ज होता है जबकि नगद भुगतान का उपयोग करते समय किसी भी अतिरिक्त खर्च के लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहराना मुश्किल होता है।

- यदि अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान होता है तो टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक डिजिटल लेन-देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय से संबंधित आंकड़े जुटाने में सहजता होती है।
- उपभोक्ताओं के लिए भी डिजिटल भुगतान काफी महत्त्व रखता है। दरअसल इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक रुपये से लेकर किसी भी राशि का डिजिटल भुगतान 24 घंटे में कभी भी यहाँ तक छुट्टियों के दौरान भी किया जा सकता है।
- डिजिटल भुगतान का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किए गए आर्थिक लेन-देन न सिर्फ ब्लैक मनी के बाजार को समाप्त कर सकता है बल्कि इससे जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की दक्षता को भी बढ़ाया जा सकता है। दरअसल यह व्यवस्था जनकल्याणकारी कार्यो के लिए धन को बिचौलियों के हाथों के बजाय सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुँचाने की धारणा पर आधारित है।

## सरकारी प्रयास

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के प्रति आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जैसे- ईंधन खरीद पर छूट, बीमा प्रीमियम, सेवाकर में छूट 100 शहरों में डिजी धन मेला का आयोजन, कैश बैक सुविधाओं को मुहैया कराना आदि।
- इसी की अगली कड़ी के रूप में सरकार ने डेबिट कार्ड लेन-देन पर लागू एमडीआर (Merchant Discount Rate) को व्यापारियों की श्रेणी के आधार पर युक्तिसंगत बनाया है जो जुलाई 2011 से प्रभावी है।
- इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा कार्ड/डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 को लागू किया गया है। साथ ही आधार सक्षम भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस को मंजूरी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कार्ड एवं डिजिटल साधनों के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत 5-8 बैंकों ने 22 जून, 2018 को प्रीपेड कार्ड जारी करने की अनुमति दी साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए बड़ी संख्या में जागरूकता अभियानों की शुरूआत भी की गई जिसमें लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति शिक्षित करने और इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
- सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान से व्यापारियों को जोड़ने के लिए भी कई पहलों और कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। उल्लेखनीय है कि इस वित्त वर्ष बैंकों को अनिवार्य रूप से एक लाख नये पीओएस टर्मिनल स्थापित करने के लिए कहा गया है।
- इन मशीनों के निर्माण पर शुल्क और करों को माफ कर दिया गया है तथा डिजिटल भुगतान पर एमडीआर और अन्य लेन-देन शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है साथ ही जल्द ही लेन-देन के लिए शुल्क अदायगी की एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी जो उच्च मात्रा और कम शुल्कों पर आधारित होगी।
- छोटे और ग्रामीण व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए विशेष उपाय किये जा रहे हैं। इस दिशा में स्टेट बैंक ने इस तरह के टर्मिनलों पर होने वाले लेन-देन के लिए एमडीआर शुल्कों पर कोई कर नहीं लगाने का प्रस्ताव दिया है।
- सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम (BHIM) डीजीधन मिशन के तहत 395 रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक प्रचार योजना की शुरूआत की है। उल्लेखनीय है कि भीम आधार पे, भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2017 को ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक व्यापारिक आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में शुरू किया गया था।
- इस योजना की अगली कड़ी के रूप में सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में यूएसएसडी को दुरूस्त कर इसे यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है जिससे अब कोई भी फीचर फोन (जो भीम एप इंस्टाल करने में असमर्थ है) भीम एप का प्रयोग करके किसी भी स्मार्ट फोन (जो एक बैंक खाते के साथ जुड़ा हुआ हो) में पैसे का लेन-देन कर सकता है।
- विदित हो कि देश में 78 करोड़ डेबिट कार्ड और एक अरब से ज्यादा आधार नंबर (40 करोड़ बैंक खातों को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है) हैं। सरकार द्वारा इन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल फोन और बिना मोबाइल फोन के जरिये एईपीएस (Aadhaar Enabled Payment System) और पीओएस समाधान की व्यवस्था की गई है।
- सरकार द्वारा इस दिशा में एक अंतिम प्रयास हाल ही किया गया है जिसके तहत NPC माध्यम से डिजिटल भुगतान के अन्य तरीके शुरू किए गए हैं जैसे- भारत बिल भुगतान प्रणाली की शुरूआत, भारत क्विक रिस्पांस कोड सॉल्यूशन (यह NPCI मास्टर कार्ड तथा वीजा द्वारा विकसित QR कोड के लिए एक अतः प्रचालनीय समाधान है) व्यापारी इन QR कोडों को अपने परिसर में प्रदर्शित कर सकते हैं तथा ग्राहक अंत प्रचालनीय वातावरण में भारत QR सक्षम एप्लीकेशन के माध्यम से इन QR कोड्स को स्कैन करके लिंक किये गए खाते के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

## डिजिटल भुगतान के समक्ष चुनौतियाँ

- डिजिटल भुगतान के समक्ष सर्वप्रथम महत्वपूर्ण चुनौती नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट लागत के संदर्भ में है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की विफलता एक आम बात है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट लागत भी काफी अधिक है।
- डिजिटल भुगतान को लेकर अभी आम जनता में जागरूकता काफी कम है। इसके अलावा लोग लेन-देन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के उपयोग को लेकर आशंकित रहते हैं।
- डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक समस्या अतिरिक्त शुल्क है जो विक्रेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। सामान्यतः यह कार्ड, ऑनलाइन लेन-देन व डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर लगाया जाता है।
- भारतीय समाज में जैसा कि ज्ञातव्य है असंगठित क्षेत्र का व्यापक प्रभाव है। ऐसे में अगर जनसंख्या का बड़ा भाग बैंकिग नेट के दायरे में आ भी जाए तो डिजिटल पेमेंट होने की मुहिम शायद ही सफल हो। दरअसल इसका कारण देश की बड़ी आबादी का असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना है। जहाँ अधिकांशतः लेन-देन डिजिटल न होकर नकद में ही होता है।

- डिजिटल भुगतान से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा साइबर सुरक्षा का है। उल्लेखनीय है कि आज विभिन्न देशों के बीच साइबर युद्ध चल रहा है और भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है। उदाहरण के तौर हमारी कमजोर साइबर सुरक्षा के चलते अक्टूबर 2016 में 30 लाख से अधिक डेबिट कार्डो का विवरण चोरी हो गया था।
- डिजिटल भुगतान के समक्ष एक चुनौती यह भी है कि डिजिटल माध्यम से किये गए सभी भुगतान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने से पहले संबंधित बैंक से संपर्क करना पड़ता है।
- विमुद्रीकरण के बाद पेमेंट टर्मिनलों की संख्या दोगुनी हो गई, जबकि में मर्चेंट एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (कार्ड के माध्यम से खरीदी जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के लिए आवश्यक ढाँचा प्रदान करने तथा भुगतान की सुविधा प्रदान करने का एक तंत्र) कमजोर बना हुआ है, क्योंकि बैंक अधिग्रहण को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है जबकि यह क्षेत्र डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिये अपार अवसर उपलब्ध करा सकता है।

## आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है की भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को लेकर किया गया प्रयास एक सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार को इस दिशा में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- जनसंख्या के एक बड़े भाग को बैंकिंग नेट के दायरे में लाया जाना चाहिए इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग कार्य करें।
- सरकार को डिजिटल टांजेक्शंस पर टैक्स छूट और अन्य लाभ प्रदान करना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार गूगल तेज और फोन पे, जो मर्चेंट भुगतान पर भी ध्यान केन्द्रित करते हैं, को प्रोत्साहित कर सकती है।
- सरकार को अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी मौलिक आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान के विभिन्न घटकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंधों में व्यापक रूप से अध्ययन करना चाहिए ताकि संकेतकों की सूची जो कि वर्तमान समय में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य एवं प्रासंगिक है पर आरबीआई द्वारा विचार किया जा सके।
- विदित हो कि आज डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार केन्या और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों में हो गया है जबकि वहाँ की जनसंख्या ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। भारत को इन अर्थव्यवस्थाओं से सीख लेने की जरूरत है।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3**

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

# 7. बारकोड एवं क्यूआर कोडः अवधारणा एवं अनुप्रयोग

## चर्चा का कारण

हाल ही में भारत सरकार ने देश में तेज गति से फैल रहे नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया है कि अब स्थानीय स्तर पर भी बेची जाने वाली दवाओं पर बारकोड अंकित किए जायेंगे। विदित हो कि भारत से निर्यात की जाने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर यह नियम पहले से ही लागू था।

इसके साथ ही बारकोड का उन्नत संस्करण क्यूआर कोड का इस्तेमाल हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार सर्विस वोटरों के वोटों की गिनती के दौरान किया गया जिससे वोटों की गिनती में काफी सहुलियत मिली।

## बारकोड क्या है?

बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है। अपने मूलरूप में बारकोड के लिए समानान्तर रेखाओं एवं उनके बीच के अंतराल का उपयोग किया जाता है। बारकोड को प्रकाशीय स्कैनर (Optical Scanner) की सहायता से पढ़ा जा सकता है।

बारकोड में किसी प्रोडक्ट के बारे में अनेक सूचनाएँ होती हैं जैसे; प्रोडक्ट की वैल्यू और वजन, निर्माण की तारीख और समाप्ति, निर्माता का नाम आदि। इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा बारकोड आवंटित किया जाता है। हर प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में एक यूनिक बारकोड होता है।

## बारकोड का इतिहास

बारकोड की अवधारणा नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने 1949 में इसे बनाया था और तब इस विधि का नाम उन्होने क्लासिफाइंग एपारटस एण्ड मेथड (Classfying Apparatus and Method) रखा था। सन् 1962 में वुडलैंड ने बारकोड का पेटेंट करवाया। 1967 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फूड चेंज (NAFC) ने पहली बार बारकोड को स्कैन किया था। उस समय बारकोर्ड को हस्तनिर्मित उत्पादों पर लगाया जाता था। सन् 1971 में आईबीएम (IBM) कंपनी के कर्मचारी जॉर्ज जे लैरेर ने रेक्टेंगल बारकोड (Rectangle Barcode) को बनाया।

## बारकोड के प्रकार

सामान्यतः दो प्रकार के बारकोड होते हैं: पहला एक-बीमीय बारकोड [1-dimensional (1D)] और दूसरा द्वि-बीमीय बारकोड [2-dimensional (2D)]।

1D बारकोड मैसेज व सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लाइनों की एक श्रृंखला है, जैसे प्रोडक्ट के प्रकार, आकार और रंग। ये प्रोडक्ट पैकेजिंग पर उपयोग किए जाने वाले universal product codes (UPCs) के ऊपर दिखाई देते हैं।

2D बारकोड अधिक जटिल है और इसमें 1D की तुलना में अधिक सूचनाएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि कीमत, मात्रा और यहां तक कि एक इमेज भी। इस कारण से linear barcode scanners उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं, हालाँकि

स्मार्टफोन और ऐसे कुछ अन्य उपकरण इसको पढ़ने में सक्षम होते हैं।

### बारकोड के लाभ

1. **गतिः** औसतन, एक बारकोड लेबल को उतने समय में स्कैन किया जा सकता है, जितना की एक कर्मचारी को दो कीस्ट्रोक (डाटा एंट्री) बनाने में समय लगता है।
2. **बेहतर सटीकताः** डेटा को प्रोसेस करने के लिए बारकोड पर निर्भर होना मैन्युअल रूप से एंटर किए गए डेटा पर भरोसा करने की तुलना में कहीं अधिक सटीक है।
3. **डेटा तुरंत उपलब्ध होता हैः** प्रोसेसिंग स्पीड के कारण, एक निश्चित समय में उत्पाद की गणना या बिक्री के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है।
4. **कार्यान्वयन में आसानीः** अधिकांश बारकोड स्कैनर ऑपरेटर 15 मिनट से कम समय में डिवाइस का उपयोग करना सीखते हैं और बारकोड लेबल उपलब्ध डिवाइसेस द्वारा पढ़े जाते हैं।
5. **बेहतर इन्वेंट्री (वस्तुओं की सूची) कंट्रोलः** इन्वेंट्री को स्कैन और ट्रैक करने में सक्षम होने के कारण बहुत अधिक सटीक गणना होती है। साथ ही इन्वेंट्री टर्न की बेहतर गणना भी होती है। कंपनियाँ कम इन्वेंट्री रख सकती हैं जब उन्हें पता होता है कि उन्हें कितनी जल्दी इसकी आवश्यकता होगी।
6. **लागत प्रभावशीलताः** बारकोड सिस्टम अकसर 6-18 महीनों में अपने निवेश को रिकवर कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के डेटा एप्लीकेशन में उच्चतम लेवल की विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। बारकोड सिस्टम समय बचाते हैं और गलती को रोकते हैं।

यद्यपि बारकोड के जरिये उत्पादों की गणना व बिक्री से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो गई लेकिन इसके तहत कुछ चुनौतियाँ सामने आने लगीं जिससे कि सरकार इसके उन्नत संस्करण के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, जिसका नाम क्यूआर कोड है। इससे न सिर्फ बिक्री गतिविधियों को तेज किया जा सकता है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह उन्नत है।

### क्यूआर कोड क्या है

क्यूआर कोड एक मशीन-पठनीय ऑप्टिकल बारकोड होता है, जिसमें किसी विशेष वस्तुओं से संबंधित जानकारी रहती है। यह जानकारी "Hypertext" के रूप में हो सकती है, जिसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। क्यूआर कोड का पूरा नाम Quick Response Code है और यह मानक UPC बारकोड से तेज पठनीय तथा ज्यादा मेमोरी क्षमता का होता है। इसी कारण यह अन्य बारकोड से अधिक लोकप्रिय है और दुनियाभर में इसका इस्तेमाल होता है।

इस बारकोड रीडर में किसी Locator (URLs), Identifier (Person) और Tracker (एक प्रकार का कोड) का डाटा छिपा रहता है, जो किसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को पढ़ता है।

क्यूआर कोड में सूचना को Encode (कूट करना) करने के लिए मानक कूट तत्वों का ही उपयोग किया जाता हैं। इन मानक तत्वों में Numbers (1, 2, 3...), Alphanumeric (a, b, c, 4, 6, #, $...), Byte/Binary तथा कांजी (चीनी लेखन के वर्ण जिन्हे जापान में इस्तेमाल किया जाता है) शामिल होते हैं।

### क्यूआर कोड का इतिहास

क्यूआर कोड का आविष्कार जापान की एक कंपनी डेनसो वेव द्वारा किया गया था, जिसे वाहन उद्योग के लिए विकसित किया गया था। उस समय इस बारकोड द्वारा उत्पादन के समय वाहनों की ट्रैकिंग की जाती थी। आज क्यूआर कोड को वाहन उद्योग के अलावा वृहद क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता हैं जिसमें बिजनेस और निजी दोनों उपयोग शामिल हैं।

क्यूआर कोड के प्रकार : क्यूआर कोड की संरचना के आधार पर इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं-

1. स्टैटिक क्यूआर कोड (Static QR Code)
2. डॉयनामिक क्यूआर कोड (Dynamic QR Code)

1. स्टैटिक क्यूआर कोडः इस बारकोड का उपयोग सार्वजनिक सूचना को प्रसारित करने के लिए किया जाता है और इसे बहुत कम बार संपादित किया जाता है। इस क्यूआर कोड को पोस्टर्स, टीवी विज्ञापन, अखबार, पत्रिका आदि में प्रकाशित किया जाता है। इस कोड का निर्माता सीमित जानकारी प्राप्त कर पाता है जैसे कि क्यूआर कोड कितनी बार स्कैन किया गया और जिस डिवाइस से स्कैन हुआ है उसका Operating System आदि।
2. डॉयनामिक क्यूआर कोडः यह एक प्रकार का Live QR Code होता है जिसे समय-समय पर संपादित किया जाता है। इसे Unique QR Code भी कहते हैं। इस कोड का निर्माता कई प्रकार की जानकारी ट्रैक कर सकता है जैसे कि स्कैन करने वाले का नाम, ई-मेल आईडी,कितनी बार स्कैन किया, कोड में शामिल जानकारी तक पहुँच, Conversation Rate आदि।

#### भारत क्यूआर कोड

भारत क्यूआर कोड एक उत्तम पेमेंट सिस्टम है। इसका इस्तेमाल कर स्मार्टफोन की सहायता से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह से कार्ड स्वाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है।

भारत क्यूआर कोड, विश्व का प्रथम अंतरसंचालित भुगतान सेवा है, जिसके प्रयोग के लिए अतिरिक्त शुल्क भी न के बराबर देना पड़ता है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी सार्थक कदम उठा रही है। भीम एप्लीकेशन उसी का उदाहरण है। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत क्यूआर कोड, व्यापारियों को सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके लेनदेन की सुविधा देता है। इसके लिए सिर्फ एक क्यूआर कोड की आवश्यकता होती है। इस तरह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया यह एक बेहतर सुविधा है।

### क्यूआर कोड के उपयोग

क्यूआर कोड को बिजनेस के लिए विकसित किया गया था लेकिन आज मार्केटिंग, विज्ञापन, शिक्षा, प्रोद्यौगिकी, संप्रेषण आदि क्षेत्रो में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है-

- क्यूआर कोड का उपयोग किसी ब्रांड के लिए विज्ञापन चलाने के लिए किया जाता है और वर्तमान समय में उपभोक्ता किसी ब्रांड की वेबसाइट को ब्राउजर पर URL टाइप करने के बजाय क्यूआर कोड स्कैन कर तेजी से ओपन कर सकते हैं।
- क्यूआर कोड में Hyperlinks (वेबपेज का पता) समाहित होता है, जिस कारण क्यूआर कोड को मैगजीन, बिजनेस कार्ड आदि पर आसानी से देखा जा सकता है और यूजर उस क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी विषय पर जानकरी प्राप्त कर सकते हैं।
- क्यूआर कोड का उपयोग मुद्रा के लिये भी किया जाने लगा है। जून 2011 में Royal Dutch Mint द्वारा दुनिया का पहला QR Code मुद्रा लॉन्च किया गया तथा इसके सिक्के (Coins) को स्मार्टफोन से Scan करने पर लिंक्ड वेबसाइट से उस सिक्के

के इतिहास तथा अन्य जानकारी प्राप्त हो जाती है।

- क्यूआर कोड का उपयोग वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड दर्शाया जाता है तथा जब कोई वास्तविक उपयोगकर्त्ता स्मार्टफोन से स्कैन करता है तो यह ऑटोमैटिक लॉगिन हो जाता है। WhatsApp के जरिये भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है।
- क्यूआर कोड में बैंक अकाउंट एवं क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी समाहित की जा सकती हैं और वर्तमान समय में अनेक ऐसी वेबसाइट हैं, जिनमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर भुगतान किया जा सकता है। विकासशील देशों जैसे- चीन, भारत आदि में यह तरीका काफी लोकप्रिय हो रहा है जिससे लोग सुविधाजनक रूप से पेमेंट कर पा रहे हैं। BHIM UPI तथा प्रीपेड वॉलेट (एयरटेल मनी, पेटीएम इत्यादि) इसके उदाहरण हैं।
- क्यूआर कोड के द्वारा ऑफलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकती है और अखबार, पत्रिका, बैनर तथा अन्य पारंपरिक तरीकों में विज्ञापित की गई कोई वेबसाइट या अन्य डिजिटल प्रोडक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन विज्ञापन की तरह इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कितने लोगों नें कोड को स्कैन किया, किस डिवाइस से स्कैन किया, नाम, ईमेल पता आदि।
- इससे बिना नंबर लिखे SMS भेजा जा सकता है। इसके लिए बस एसएमएस भेजने वाले का क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करते ही नंबर आ जाता है।
- सोशल प्रोफाइल, ऑफिस, घर का पता या किसी स्थान विशेष की लोकेशन भी क्यूआर कोड के माध्यम से शेयर किया जा सकता है।
- इससे V-Card (बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड) के पीछे पूरा पता या फिर ऑनलाइन बायोडाटा पेज का पता छापा जा सकता है।

## बारकोड और क्यूआर कोड में अंतर

क्यूआर कोड बारकोड का एक नया स्वरुप है पर इनका अंतर इनकी संरचना में है। बारकोड सफेद-काली खड़ी लाइनों से मिलकर बना होता है लेकिन इसमें बहुत कम सूचना स्टोर होती है। अगर ये एक बार स्टोर हो जाये तो बड़े ही आराम से इसे पढ़ा जा सकता है। इसे मैन्युअली नंबर से या सिंपल बारकोड स्कैनर की मदद से पढ़ा जा सकता है।

अगर बात करें कि बारकोड काम कैसे करता है तो इसमें नीचे 1 से लेकर 9 नंबर, कोई सा भी हो सकता है। हर नंबर में 7 लाइन को चुना जाता है अगर सात लाइन खड़ी हैं तो इसमें कुछ सफेद तो कुछ काली होती है तथा हर लाइन के लिए अलग अलग नंबर होते हैं।

जब हम इसको लेजर स्कैनर से स्कैन करते हैं तो सफेद लाइन लेजर को वापस कर देती है और काली लाइन लेजर को ऑब्जर्व कर लेती है। इस तरह जहाँ से लेजर वापस आती है वहाँ 1 और जहाँ से लेजर वापस नहीं आती वहाँ 0 होता है।

ऐसे में हम उसे सात-सात भागों में बाँट कर पता लगा लेते हैं कि इसमें पहला दूसरा तीसरा कौन सा है और इसकी मदद से हम बारकोड के नंबर आसानी से पढ़ लेते हैं। वहीं क्यूआर कोड को किसी लेजर स्कैनर की जरुरत नहीं होती।

क्यूआर कोड में 7089 नंबर तक स्टोर किये जा सकते हैं परन्तु 1D बारकोड में 30 नंबर ही स्टोर हो पाते हैं। इसी वजह से क्यूआर कोड अब ज्यादा प्रचलन में है। इसकी ज्यादा स्टोरेज की वजह से इसमें वीडियो और अन्य बड़ी फाइल को भी स्टोर किया जा सकता है।

क्यूआर कोड 7,089 न्यूमेरिक कैरक्टर्स (बिना स्पेस के) स्टोर कर सकता है या 2,953 अल्फान्यूमेरिक कैरक्टर्स स्पेस और विराम चिह्न के साथ स्टोर कर सकता है। जबकि बारकोड की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। एक ही डेटा के लिए क्यूआर कोड, बारकोड की तुलना में कम जगह लेता है। क्यूआर कोड को 360 डिग्री में किसी भी एंगल से स्कैन किया जा सकता है। जबकि बारकोड में ऐसा नहीं है। क्यूआर कोड न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी कैरेक्टर को एनकोड कर सकता है।

**एरर करेक्शनः** क्यूआर कोड खराब (30% तक) होने के बावजूद भी स्कैन हो सकता है। वहीं बारकोड में ऐसी सुविधा नहीं होती है।

## चुनौतियाँ

क्यूआर कोड एवं बार कोड के फायदे तो बहुत हैं लेकिन इसके कुछ चुनौतियाँ भी हैं जैसे -अगर कोई हैकर आपके मोबाइल को हैक करना चाहे तो वह कोई हैकिंग कोड बनाकर आपसे स्कैन करवा सकता है क्योंकि उसके क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपके मोबाइल में वायरस आ सकते हैं जिनसे वह आपके मोबाइल से डेटा को हैक कर सकता है।

क्यूआर कोड में बैंक अकांउट से लेकर निजी जानकारी भी रखी जा रही है इसलिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यदि डेटा लीक होता है तो सारी गोपनीयता सार्वजनिक हो जाएगी।

इसके लिए उन्नत तकनीकी की बेहतर जानकारी आवश्यक है जो अशिक्षा के कारण देश में अभी भी पर्याप्त नहीं है। चूंकि क्यूआर कोड मैनुअल न होकर मशीन पर आधारित है इसलिए मशीन की विश्वसनीयता बनाये रखना महत्वपूर्ण चुनौती है।

## आगे की राह

बार कोडिंग को लेकर सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है क्योंकि न सिर्फ दवाओं बल्कि इसके अलावा भी सभी खाद्यानों का नकली प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय है।

भ्रष्टाचार और मिलावट के दौर में यह पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सा प्रोडक्ट असली है और कौन सा नकली। सरकार का भी यह कहना है कि नकली प्रोडक्ट के सेवन से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है इसलिए बारकोडिंग एवं क्यूआर कोडिंग का इस्तेमाल करके असली और नकली में फर्क किया जा सकता है। इससे न सिर्फ कालाबाजारी पर रोक लगेगी बल्कि लोगों के स्वास्थ्य का भी उचित ख्याल रखा जा सकता है। बार कोड तथा क्यूआर कोड का इस्तेमाल स्थानीय उत्पादों से लेकर विदेश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर किया जा सकता है जिससे कि इन उत्पादों के साख में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग भी बढ़ेगी।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3**

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

# स्नात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

## भारत में खादी ग्रामोद्योग : आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम

**प्र. खादी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और समृद्धि की जीती-जागती प्रतीक रही है, किन्तु वर्तमान समय में खादी ग्रामोद्योग की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। चर्चा करें।**

उत्तरः

### सन्दर्भ

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस खादी को देश में स्वरोजगार पैदा करने का माध्यम बनाया था, उसी देश में आजादी के 72 साल बाद भी खादी ग्रामोद्योग आयोग की हालत अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है।

### खादी ग्रामोद्योग की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में लगभग 50 लाख लोग खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों और संस्थानों में कार्य करते हुए सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
- फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खादी ग्रामोद्योग विकास योजना को वर्ष 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दे दी है।

### खादी ग्रामोद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- खादी के सामने आज अस्तित्व का संकट है। देश में कुल 1700 खादी संस्थाएँ हैं लेकिन उनकी स्थिति जीवनरक्षक यंत्र में रखे किसी मरीज से बेहतर नहीं है। एक तरफ बैंक के कर्ज तो दूसरी ओर सालों से लंबित छूट (रिबेट) ने खादी संस्थाओं की कमर तोड़ दी है।
- खादी के उत्पादन और बिक्री की चमक धीमी पड़ती जा रही है, भारत के कई खादी संस्थान अस्तित्व में तो हैं किन्तु अब उन संस्थानों में न तो वैसे खादी के कार्यकर्ता रह गए, न कत्तिन, न बुनकर, न ही बिक्री और न व्यापार।

### सरकारी प्रयास

- खादी उत्पाद को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान सरकार कार्यशील है। यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों जैसे मन की बात और अनेक कार्यक्रमों में की है।
- एमएसएमई मंत्रालय खादी स्टोर नेटवर्क का विस्तार करने पर भी गौर कर रहा है। खादी उत्पादों की ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये बिक्री के लिये भागीदारी और गठबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।
- एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रहा है। केयर उद्योग (नारियल के रेशे) के साथ-साथ खादी उद्योग सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

### निष्कर्ष

- गाँवों का उत्थान ही भारत की सच्ची उन्नति की कसौटी है। खादी-दर्शन की मूल भावना से साक्षात्कार करते हुए ग्रामों की अधिकतम आत्मनिर्भरता के लिए और ठोस प्रयास आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। ■

## नई शिक्षा नीति, 2019: एक अवलोकन

**प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "नई शिक्षा नीति" शिक्षा संबंधित उन समस्याओं का समाधान कर पायेगी जो इससे पूर्व की शिक्षा नीति नहीं कर सकी थी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।**

उत्तरः

### चर्चा का कारण

- हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के पुनर्गठन हेतु मसौदा (Draft) को प्रस्तुत किया गया है।

### भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफर

- शिक्षा में सुधार का दौर देश में आजादी के पहले से ही चला आ रहा है लेकिन यह सुधार औपनिवेशिक हितों के अनुकूल था। उदाहरण के लिए मैकाले का घोषणा-पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, हण्टर आयोग 1882 आदि। इसके साथ ही उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना मुश्किल होता था।
- वर्ष 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से बच्चों के शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। यही नहीं कम्प्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने में बच्चों को तकनीकी रूप से दक्ष करना भी लक्ष्य है।

### नई शिक्षा नीति का मसौदा : प्रमुख सिफारिशें

- नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4 डिजाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है। जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है।
- यह मसौदा धारा 12(1)(सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है।

### नई शिक्षा नीति का लक्ष्य

- 0-6 साल के बच्चों तक उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई (ECCE - Early Childhood Care and Education) प्रोग्राम जिनमें बच्चों को भाषा संबंधित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं की पहुँच नि:शुल्क और सरल बने। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा से संबंधित सभी पहलू मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में आयेंगे।
- नई शिक्षा नीति द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से दोबारा जोड़ने और सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करवाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

### चुनौतियाँ

- भारत में लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उल्लेखनीय है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनमें से अधिकतर बच्चे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक व दिव्यांग समूह के होते हैं।

### आगे की राह

- भारतीय विश्वविद्यालय आज भी विश्व के 100 शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हो सका है। इस सिलसिले में विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को आत्मअवलोकन कर संबंधित मानकों में सुधार करना चाहिए।
- इसके अलावा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण की विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए। ■

## सिविल सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्त : एक विश्लेषण

**प्र. सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के मौलिक नियम 56 (जे) से आप क्या समझते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके महत्त्व की चर्चा करें।**

उत्तरः

### चर्चा का कारण

- हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के मौलिक नियम 56 के तहत 12 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया है।

### मौलिक नियम 56 (J) क्या है

- मौलिक नियम (FR) और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCC) (पेंशन) रूल्स 1972 के तहत ग्रुप 'ए' के कर्मचारियों के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ग्रुप 'ए' के तहत विभागों के बड़े अधिकारी आते हैं। इन्हीं नियमों के तहत जरूरत समझे जाने पर जनहित में समय से पूर्व रिटायर करने का प्रावधान है। यह समीक्षा सीसीएस पेंशन रूल 1972 के एफआर 56 (j), एफआर 56 (i) और रूल 48 (1) (b) के तहत किया जाता है।
- सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम एफआर 56 (j) के तहत ग्रुप 'ए' और 'बी' के वे अधिकारी आते हैं, जो 35 वर्ष की आयु से पहले सेवा में आते हैं और समीक्षा के वक्त पचास वर्ष की आयु पार कर चुके होते हैं जबकि रूल 48 (1) (b) के तहत वे सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनके सेवाकाल के 30 वर्ष पूरा हो चुके होते हैं।

### अन्य अधिनियम

- अनुच्छेद 311 के अनुसार, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किये जाने का वर्णन है।
- इसके अलावा, उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसे पदों से निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसमें जांच के बाद उसके खिलाफ आरोप साबित हुए हों और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित मौका दिया गया हो।

### सुप्रीम कोर्ट का रुख

- सुप्रीम कोर्ट नियम एफआर 56 (j) की वैधता को न केवल सही ठहरा चुका है बल्कि उसके मुताबिक किसी कर्मचारी को इस नियम के प्रावधान के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत करने का नोटिस देने से पहले कारण बताओ नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है।

### आगे की राह

- अनुच्छेद 311 के माध्यम से भारत का संविधान, सरकारी सेवा में सिविल सेवकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करता है, मनमानी बर्खास्तगी, हटाने और रैंक में कमी के खिलाफ उन्हें संरक्षण देता है। इस तरह की सुरक्षा सिविल सेवकों को उनके कार्यों को साहसपूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। ■

## पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था एवं भारत पर उसका प्रभाव

**प्र. वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। भारत के पड़ोसी होने के नाते खस्ताहाल पाकिस्तान की स्थिति भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? चर्चा करें।**

उत्तरः

### चर्चा का कारण

- हाल ही में आईएमएफ (IMF) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने विकास दर की सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है।

### पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

- आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार पिछले वर्ष पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 5.2 फीसदी थी जो इस वर्ष घटकर 3.4 फीसदी पर आ गई है। अगले वर्ष इसमें और गिरावट होने का अनुमान है। विशेषज्ञों की मानें तो अगले वर्ष यह 2.7 फीसदी रह सकती है।

### पाकिस्तान के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

- बेरोजगारी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, ऊर्जा, शिक्षा, आतंकवाद, जल संकट इत्यादि।

### भारत पर प्रभाव

- जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान भारत का न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि वह भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण से सहयोगी भी है। इसलिए यदि पड़ोसी पाकिस्तान चाहे आर्थिक या राजनीतिक किसी भी स्तर पर दिवालिया होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के हित आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम सिर्फ आर्थिक स्थिति की बात करें तो भी यह कई मायने में महत्वपूर्ण है।

### आगे की राह

- उल्लेखनीय है कि खराब होती पाकिस्तान की हालत भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। अतः भारत को भी यह ध्यान देना होगा कि बिना पाकिस्तान में शांति स्थापित हुए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना मुश्किल है। चूंकि वह पाकिस्तान के करतूतों को अच्छी तरह समझता है फिर भी भारत को बात-चीत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।
- भारत जब आसियान, बिम्सटेक आदि जैसे संगठनों को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है तो उसे यह भी ध्यान देना होगा कि इन संगठनों में पाकिस्तान भी शामिल हों ताकि इस क्षेत्र की बराबर भागीदारी इनमें बनी रहे। ■

## वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती विदेश नीति

**प्र. वर्तमान विश्व में कई देशों के बीच टकराव बढ़ गया है। ऐसे में भारत की वर्तमान सरकार की विदेश नीति भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों को किस प्रकार सुरक्षित कर पाएगी? चर्चा करें।**

उत्तरः

### चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जो अपनी विदेश नीति को एक नया आयाम देने के लिए प्रयत्नशील है।

### भारत की विदेश नीति क्या है

- भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना है।

### भारत की वर्तमान विदेश नीति

- वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया गया है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चिंताओं के कारण भारत ने बेल्ट और रोड फोरम को छोड़ दिया और चीन पर नजर बनाए रखने के साथ, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सहयोग स्थापित करने के लिए वार्ता में भाग लिया।

### चुनौतियाँ

- विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत दूरवर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करना भी एक बड़ी चुनौती होगी।

### आगे की राह

- वर्तमान विश्व में संबंधों के आयामों को आर्थिक आधार पर तौला जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हित के हिसाब से ही विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए।
- वर्तमान में अमेरिका-ईरान, इजरायल- फिलीस्तीन, चीन-अमेरिका, अमेरिका-रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गये हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। ■

## डिजिटल भुगतानः न्यू इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक

**प्र. डिजिटल भुगतान से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।**

उत्तरः

### चर्चा का कारण

- हाल ही में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

### रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बातें

- सरकार को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये किसी भी डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटाना चाहिए।
- राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं और केन्द्रीय विभागों को किए गए डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ताओं से कोई सुविधा शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान व्यवस्था की निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को मिलकर एक उचित व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए।

### डिजिटल भुगतान क्या है

- जहाँ तक डिजिटल भुगतान की बात है तो इसे सामान्यतः डिजिटल लेन-देन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा धन का हस्तांतरण अधिकृत करता है अर्थात् धन का प्रवाह सीधे एक खाते से दूसरे खाते में होता है।

### डिजिटल भुगतान की वर्तमान स्थिति

- देश में डिजिटल भुगतान ने वित्तीय लेन-देन की स्थिति बदल दिया है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण होने के पश्चात् डिजिटल ट्रांजेक्शन लगभग 1 बिलियन से अधिक के आंकड़े को पार कर गया है।
- आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड, खुदरा डिजिटल भुगतान के प्रमुख स्रोत बन गए हैं वहीं यूपीआई और 'प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) का चलन बढ़ा है।

### भारत में डिजिटल भुगतान की आवश्यकता क्यों

- सुविधाजनक नकद रहित लेन-देन लोगों को कम समय में अधिक खरीदारी करने में सक्षम बना सकती है जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि, अधिक उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा नतीजतन रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- बढ़ते डिजिटल भुगतान के साथ, नकदी के प्रवाह पर निगरानी से उसके उत्पादन और वितरण लागत को कम किया जा सकता है।

### सरकारी प्रयास

- सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के प्रति आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जैसे- ईंधन खरीद पर छूट, बीमा प्रीमियम, सेवाकर में छूट 100 शहरों में डिजी धन मेला का आयोजन, कैश बैक सुविधाओं को मुहैया कराना आदि।

### डिजिटल भुगतान के समक्ष चुनौतियाँ

- डिजिटल भुगतान को लेकर अभी आम जनता में जागरूकता काफी कम है। इसके अलावा लोग लेन-देन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के उपयोग को लेकर आशंकित रहते हैं।
- डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक समस्या अतिरिक्त शुल्क है जो विक्रेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। सामान्यत: यह कार्ड, ऑनलाइन लेन-देन व डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर लगाया जाता है।

### आगे की राह

- सरकार को डिजिटल टांजेक्शंस पर टैक्स छूट और अन्य लाभ प्रदान करना चाहिए।
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार गूगल तेज और फोन पे, जो मर्चेंट भुगतान पर भी ध्यान केन्द्रित करते हैं, को प्रोत्साहित कर सकती है। ■

## बारकोड एवं क्यूआर कोडः अवधारणा एवं अनुप्रयोग

**प्र. बार कोड एवं क्यूआर कोड का उल्लेख करते हुए यह बताएं कि नकली उत्पादों के निर्माण को रोकने में यह किस प्रकार सहायक साबित होगा?**

**उत्तरः**

### चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने देश में तेज गति से फैल रहे नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया है कि अब स्थानीय स्तर पर भी बेची जाने वाली दवाओं पर बारकोड अंकित किए जायेंगे।

### बारकोड क्या है?

- बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है। अपने मूलरूप में बारकोड के लिए समानान्तर रेखाओं एवं उनके बीच के अंतराल का उपयोग किया जाता है। बारकोड को प्रकाशीय स्कैनर (Optical Scanner) की सहायता से पढ़ा जा सकता है।

### बारकोड के लाभ

- गति, बेहतर सटीकता, डेटा तुरंत उपलब्ध होता है, कार्यान्वयन में आसानी, बेहतर इन्वेंट्री (वस्तुओं की सूची) कंट्रोल, लागत प्रभावशीलता इत्यादि।

### क्यूआर कोड क्या है

- क्यूआर कोड एक मशीन-पठनीय ऑप्टिकल बारकोड होता है, जिसमें किसी विशेष वस्तुओं से संबंधित जानकारी रहती है। यह जानकारी "Hypertext" के रूप में हो सकती है, जिसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। क्यूआर कोड का पूरा नाम Quick Response Code है और यह मानक UPC बारकोड से तेज पठनीय तथा ज्यादा मेमोरी क्षमता का होता है। इसी कारण यह अन्य बारकोड से अधिक लोकप्रिय है और दुनियाभर में इसका इस्तेमाल होता है।

### क्यूआर कोड के उपयोग

- क्यूआर कोड का उपयोग किसी ब्रांड के लिए विज्ञापन चलाने के लिए किया जाता है और वर्तमान समय में उपभोक्ता किसी ब्रांड की वेबसाइट को ब्राउजर पर URL टाइप करने के बजाय क्यूआर कोड स्कैन कर तेजी से ओपन कर सकते हैं।
- क्यूआर कोड में Hyperlinks (वेबपेज का पता) समाहित होता है, जिस कारण क्यूआर कोड को मैगजीन, बिजनेस कार्ड आदि पर आसानी से देखा जा सकता है और यूजर उस क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

### चुनौतियाँ

- क्यूआर कोड में बैंक अकांउट से लेकर निजी जानकारी भी रखी जा रही है इसलिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यदि डेटा लीक होता है तो सारी गोपनीयता सार्वजनिक हो जाएगी।

### आगे की राह

- बार कोडिंग को लेकर सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है क्योंकि न सिर्फ दवाओं बल्कि इसके अलावा भी सभी खाद्यानों का नकली प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। ■

# सात ब्रेन बूस्टर्स

## सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट

### चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में जारी नवीनतम सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 11 वर्षों में, भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 42 फीसदी की कमी आई है जो 2006 में, प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 57 मृत्यु से 2017 में 13 तक पहुँची है।

### रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

**2.1** सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 47 बच्चों की मृत्यु 5 साल के अंदर हो जाती है, जबकि पूरे देश में यह दर 33 प्रति हजार है।

**2.2** मृत्यु दर में कमी के बावजूद, 2017 में भारत का आईएमआर (IMR) 29.4 के वैश्विक आँकड़ों से ज्यादा रहा है, जो कि पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के बराबर है और पाकिस्तान तथा म्यांमार को छोड़कर अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की तुलना में अधिक है।

**2.3** 2008 में देश में शिशु मृत्यु दर 53 प्रति हजार थी। साल 2017 तक आते-आते यह घटकर 33 प्रति हजार हो गई। इन्हीं 10 सालों के दौरान ग्रामीण इलाकों में यह 58 से घटकर 37 और शहरों में 36 से कम होकर 23 हो गई है।

**2.4** पिछले चार दशकों में देश में जन्म दर में भारी गिरावट आई है। 1971 में यह 36.9 प्रति हजार थी, जो 2017 में कम होकर 20.2 प्रति हजार हो गई। अभी भी बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर है। यहां यह 26.4 प्रति हजार है; वहीं, अंडमान-निकोबार में सबसे कम 11.4 प्रति हजार है।

**2.5** आईएमआर के लिए 2006 के एसआरएस आँकड़ों की तुलना में, भारत के बड़े राज्यों (1 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ), नई दिल्ली और तमिलनाडु ने शिशु मृत्यु दर को 57 फीसदी घटाया है- 2006 में 37 से 2017 में 16 तक। अन्य राज्य जो इसी तरह की गिरावट दर्शाते थे, वे हैं- जम्मू-कश्मीर (-56 फीसदी), हिमाचल प्रदेश (-56 फीसदी) और पंजाब (-52 फीसदी)।

**2.6** छोटे राज्यों में, नागालैंड में सबसे ज्यादा कमी (-65 फीसदी) देखी गई है। यह आँकड़े 2006 में 20 से 2017 में 7 तक पहुंचे हैं। इसके बाद छोटा राज्य सिक्किम (-64 फीसदी) और केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली (-63 फीसदी) और पुदुच्चेरी (-61 फीसदी) का स्थान रहा है।

**2.7** इसी तरह, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य ऐसे हैं; जहां आईएमआर 2006 और 2017 के बीच क्रमशः 11 से 12 और 40 से 42 के बीच बढ़ा।

**2.8** 2006 और 2017 के बीच, उत्तराखंड (-5 फीसदी), पश्चिम बंगाल (-15.8 फीसदी) और त्रिपुरा (-19.4 फीसदी) में, आईएमआर में सबसे धीमी गिरावट देखी गई है।

### बच्चों की मौत के कारण

**3.1** जिन राज्यों में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, वहाँ इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्री मैच्योर यानी समय से पहले बच्चे का पैदा होना। दूसरा महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है संक्रमण। बड़े बच्चों में निमोनिया और दस्त रोग मृत्यु की बड़ी वजह बनते हैं। कई राज्यों में अस्पतालों की सुविधाएँ भी लचर ही हैं।

**3.2** घर की आर्थिक स्थिति और मातृ शिक्षा, शिशु और बाल मृत्यु दर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अधिक शिक्षित महिलाओं वाले राज्यों में बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम दिखाई देते हैं।

**3.3** जिन राज्यों में आज भी सामाजिक परंपरा के रूप में और राजनीतिक संरक्षण की वजह से बाल विवाह का चलन है, वहां गर्भवती होने के बाद कम उम्र की माताओं की सेहत का सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है।

**3.4** इसके अलावा, समाज में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव की वजह से बचपन से बेटियों के पोषण के मामले में लोग कटौती करते हैं। इसका असर महिलाओं की सेहत पर दीर्घकालिक पड़ता है।

# मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ

## संदर्भ

**1.1** आधुनिक समाज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हर व्यक्ति के संघर्ष, तनाव और अवसाद को बढ़ा दिया है। ये अवसाद किसी महानगर तक सीमित नहीं रहकर सब जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस कारण मानसिक समस्याओं का भी विस्तार हो रहा है।

**1.2** इसी के मद्देनजर सरकार मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2017 लेकर आई थी जिसे एक साल बाद मई, 2018 में नोटिफाई कर दिया गया था।

## स्वास्थ्य की परिभाषा

**2.1** डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर जो मापदंड रखे हैं, वहां केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य नहीं माना गया है बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सकारात्मक अच्छाई, अध्यात्म (स्प्रिचुअल हेल्थ) को भी शामिल किया गया है।

## साइकोटिक एवं न्यूरोटिक बीमारियाँ

**3.1** मानसिक स्वास्थ्य की कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जो मानसिक बीमारी के रूप में आती हैं। बहुत-सी मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जिनको काउंसलिंग और मनोविश्लेषण के द्वारा सही किया जा सकता है।

**3.2** वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें केमिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है।

**3.3** साइकोटिक और न्यूरोटिक दो तरह की होती हैं। न्यूरोटिक बीमारी को दवाइयों के द्वारा सही किया जा सकता है लेकिन साइकोटिक को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है।

**3.4** साइकोटिक स्थिति से गुजर रहे लोगों को मनोवैज्ञानिक से बातचीत करनी चाहिए तथा उन्हें उचित तरीके से काउंसलिंग की जरूरत होती है।

**3.5** मानसिक स्थिति में विकास ही सारे रोगों की जड़ है जैसे चंचल सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन यह सभी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं।

## मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यबल की मौजूदा स्थिति

**4.1** डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि प्रति एक लाख आबादी में 2443 लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं।

**4.2** वहीं दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल के अनुपात की बात की जाए तो भारत में प्रति एक लाख आबादी पर मनोचिकित्सक 0.3 फीसदी, नर्स 0.12 फीसदी, मनोवैज्ञानिक 0.07 फीसदी और सामाजिक कार्यकर्ता 0.07 फीसदी हैं।

## मानसिक रोगी को इलाज का अधिकार

**5.1** मेंटल हेल्थकेयर बिल सभी सरकारी अस्पतालों में मानसिक तौर पर बीमार लोगों को इलाज का अधिकार देता है।

**5.2** इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम और कानून बनाने के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की एक टीम गठित की। मेंटल हेल्थकेयर बिल के तहत किसी भी तरह के नियम तोड़ने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है।

**5.3** अपराध दोहराने पर दो साल जेल और 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

## मानसिक रूप से बीमार बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक देने पर प्रतिबंध

**6.1** इस कानून के अंतर्गत मानसिक रूप से बीमार बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक देने पर भी प्रतिबंध है; वयस्कों को जबकि एनेस्थीसिया के तहत ऐसा किया जा सकता है।

**6.2** बिल में मानसिक तौर पर बीमार शख्स को यह अधिकार दिया गया है कि वह लिखित में देकर यह बता सकता है कि उसकी देखभाल और इलाज किस तरह किया जाना चाहिए।

## सुझाव

**7.1** साइक्लोजिकल सेवाओं के लिए निगरानी करने वाली एजेंसी बनाने की जरूरत है।

**7.2** सामाजिक साइकाट्रिस्ट, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और साइक्लॉजिस्ट की संख्या बढ़ाने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

**7.3** सच्चाई यह है कि समय पर अगर मानसिक रोगियों की पहचान कर ली जाए तो देश के मानव संसाधन का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

**7.4** मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है तभी जाकर सही अर्थों में खुशहाल, स्वस्थ एवं विकसित राष्ट्र की कल्पना को धरातल पर उतार पाएंगे।

# मंत्रिमंडलीय समिति

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में सरकार ने आर्थिक मामलों संबंधी समेत मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों के गठन की घोषणा की है।

**1.2** ज्ञातव्य है कि सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश एवं विकास पर तथा बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास पर भी समितियां गठित की थी।

## मंत्रिमंडलीय समिति का गठन क्यों

**2.1** देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने इस समिति का गठन किया है।

**2.2** इन दो समितियों के गठन के बाद वर्तमान में आठ मंत्रिमंडलीय समितियाँ हो गई है।

**2.3** पहली समिति जिसका नाम निवेश और आर्थिक वृद्धि है, जो आर्थिक वृद्धि दर, विकास एवं निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेगी।

**2.4** इसके अलावा यह समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी विकल्पों पर विचार करेगी।

**2.5** दूसरी समिति जिसका नाम रोजगार और कौशल विकास है, यह समिति बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी। इसके अलावा यह लोगों में कौशल विकास के लिए भी यह समिति विचार करेगी।

**2.6** ज्ञातव्य है कि मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है, जब नई सरकार कामकाज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं।

## मंत्रिमंडलीय समिति एवं उसका महत्त्व

**3.1** जब कभी सरकार को लगता है कि जनहित के कार्यों में तेजी लाने और विकास को और अधिक गति देने की जरूरत है तो वह मंत्रिपरिषद के अलावा मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर सकती है।

**3.2** मंत्रिमंडलीय समिति दो प्रकार की होती है- तदर्थ समिति और स्थायी समिति।

**3.3** ज्ञातव्य है कि संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों की कोई चर्चा नहीं की गई है, किन्तु इन समितियों की स्थापना का प्रावधान सरकार के कार्य संचालन नियमावली 1961 में किया गया है।

**3.4** इन समितियों का काम काफी महत्वपूर्ण होता है, ये अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के साथ ही नीतिगत मुद्दों पर भी विचार करती हैं।

**3.5** मंत्रिमंडलीय समितियां न केवल समस्याओं और मुद्दों का निपटारा करती हैं बल्कि मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव भी तैयार करती हैं, इसके अलावा ये निर्णय भी लेती हैं।

**3.6** मंत्रिमंडलीय समितियां मंत्रिमंडल के कामकाज के बोझ को कम करने का कार्य करती हैं।

**3.7** मंत्रिमंडलीय समितियां नीतिगत मामलों की गहन अध्ययन और प्रभावी समन्वय स्थापित करने का भी काम करती हैं। ये समितियां श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हैं।

## मंत्रिपरिषद की भूमिका

**4.1** अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।

**4.2** केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है तथा यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

**4.3** मंत्रियों के विभागों के संबंध में संसद में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर मंत्री को देना होता है। हालांकि लोकहित या गोपनीयता के आधार पर मंत्री सवाल का जवाब देने से इंकार कर सकता है।

# कोलंबो बंदरगाह

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में भारत और जापान ने कोलंबो बंदरगाह में संयुक्त रूप से 'ईस्ट कंटेनर टर्मिनल' विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता किया है।

**1.2** समझौते के मुताबिक, श्रीलंका प्रोजेक्ट के 51% हिस्से को नियंत्रित करेगा, जबकि भारत और जापान बचे हुए 49% हिस्से को नियंत्रित करेंगे।

## परिचय

**2.1** कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से श्रीलंका का 90% समुद्री माल गुजरता है।

**2.2** वह बंदरगाह यूरोप, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। इसने वर्ष 2017 में 6.21 TEUs (Twenty foot Equivalent Units- माल ढुलाई का माप) का हिस्सेदारी किया जिससे यह दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह बन गया।

**2.3** कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शहर से लगभग 1.8 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे पोर्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह हंबनटोटा बंदरगाह से लगभग 100 मील की दूरी पर है, जो अब चीन के नियंत्रण में है।

## महत्त्व

**3.1** कोलंबो पोर्ट को व्यावसायिक रूप से सबसे व्यवहार्य परियोजना माना जाता है क्योंकि इसने बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन से लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है।

**3.2** इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और जापान इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। चूंकि हिंद महासागर के केन्द्र के रूप में श्रीलंका का विकास और उसके बंदरगाहों का खुलना बहुत महत्त्व रखता है।

**3.3** यह संयुक्त परियोजना तीनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग और बेहतर संबंधों को दर्शाती है। इस पहल से भारत और जापान को इस क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलेगी।

**3.4** इस परियोजना से श्रीलंका को बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता तो मिलेगी ही साथ ही साथ उसे यह परियोजना आर्थिक और सामरिक मामलों में भारत, जापान और अमेरिका के करीब ले जाएगा तथा उसे चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम करने में सहूलियत मिलेगा।

## चुनौतियाँ

**4.1** कुछ समय से भारत-श्रीलंका के बीच संबंधों में कम मधुरता देखी जा रही है। अतः भविष्य में इस परियोजना में भारत की भागीदारी भी श्रीलंका के आंतरिक कलह का कारण बन सकता है।

**4.2** इस तरह की परियोजना को आगे बढ़ाने से भारत-चीन संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है।

## आगे की राह

**5.1** दक्षिण पूर्व एशिया में शांति स्थापित करना है तो भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा।

**5.2** चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए खासकर श्रीलंका में भारत को इस तरह की परियोजनाओं पर आगे बढ़ना होगा।

**5.3** श्रीलंका को भी यह समझना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक एवं सहयोगी देश है। अतः उसके द्वारा किये गये कोई भी कार्य श्रीलंका के हित में होगा।

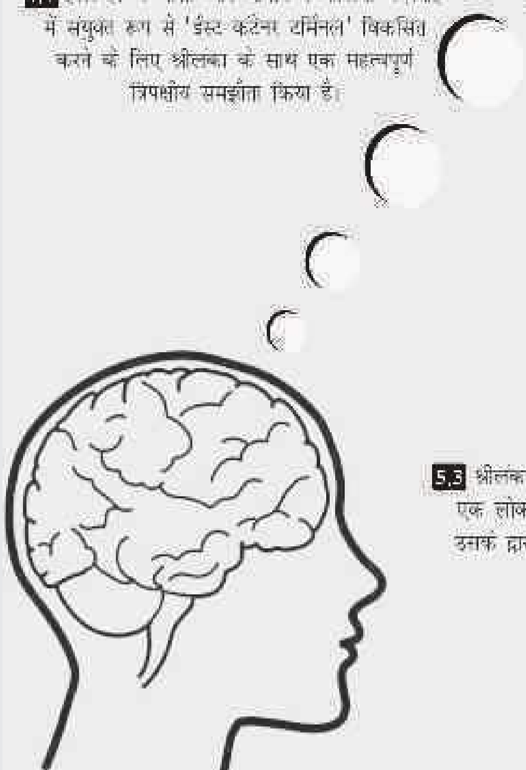

# राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक

## संदर्भ

**1.1** हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) केंद्र तथा राज्य सरकारों के बजट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 'राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक' लेकर आया है।

**1.2** सीआईआई के अनुसार समग्र राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (एफपीआई) एक अनूठा साधन है। इसके जरिये केंद्र एवं राज्य सरकारों के बजट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया गया है।

## सूचकांक के मानक

**2.1** सूचकांक को तैयार करने के लिए संयुक्त विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास सूचकांक प्रक्रिया को अपनाया गया है।

**2.2** राजकोषीय प्रदर्शन का प्रस्तावित समग्र सूचकांक सरकार की बजट की गुणवत्ता के आकलन को लेकर छः तत्वों पर आधारित है। इसमें राजस्व व्यय की गुणवत्ता, पूंजी व्यय की गुणवत्ता, राजस्व की गुणवत्ता, राजकोषीय समझदारी का स्तर, जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा और कर्ज सूचकांक शामिल हैं।

## नया फार्मूला

**3.1** राजस्व व्यय की गुणवत्ता का आकलन जीडीपी में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और रक्षा मद में भुगतान के मुकाबले राजस्व व्यय की हिस्सेदारी से मापा गया है।

**3.2** वहीं, पूंजी व्यय की गुणवत्ता को जीडीपी में रक्षा को छोड़कर पूंजी व्यय की हिस्सेदारी से मापा गया है।

**3.3** राजस्व गुणवत्ता का आकलन जीडीपी के अनुपात में शुद्ध कर राजस्व के आधार पर तथा राजकोषीय समझदारी के स्तर को जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा के स्तर से किया गया है।

**3.4** कर्ज सूचकांक का आकलन जीडीपी के अनुपात में ऋण और गारंटी में बदलाव के आधार पर मापा गया है।

## नये सूचकांक में महत्वपूर्ण तत्व

**4.1** नये सूचकांक के तहत बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय को आर्थिक वृद्धि के लिए लाभकारी माना जा सकता है।

**4.2** अपने विश्लेषण से प्राप्त परिणाम के आधार पर सीआईआई ने कहा कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून के तहत केवल एक तत्व पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

**4.3** एफआरबीएम के तहत सरकार ने राजकोषीय घाटे में कमी का लक्ष्य रखा है। सीआईआई ने कहा कि इसकी जगह सभी इकाइयों के समग्र प्रदर्शन को व्यय गुणवत्ता, राजस्व प्राप्ति गुणवत्ता और राजकोषीय समझदारी के दृष्टिकोण से आकलन किया जाना चाहिए।

## प्रदर्शन सूचकांक में राज्यों की स्थिति

**5.1** राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक पर राज्यों में बिहार पहले नंबर पर रहा है। बिहार ने इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।

**5.2** वहीं राजकोषीय अनुशासन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल का रहा है।

**5.3** सीआईआई के मुताबिक 'राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक' में मध्य प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे उच्च आमदनी वाले राज्य लगातार इस सूचकांक पर पिछड़ रहे हैं। व्यय की गुणवत्ता के मामले में आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है।

**5.4** खास बात यह है कि 2004-05 से 2013-14 तक आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन इस सूचकांक पर शानदार था लेकिन 2014 में राज्य के विभाजन के बाद वित्तीय संकट के चलते उसका प्रदर्शन खराब हो गया। जिस राज्य का स्कोर 100 अंकों वाले इस सूचकांक पर जितना ज्यादा होता है, उसका प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाता है। इस सूचकांक पर बिहार का स्कोर 66.5 है जबकि पश्चिम बंगाल का सबसे कम 33.3 है।

# अमेरिका द्वारा वीजा नियमों में बदलाव

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में अमेरिका ने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए नये नियमों की लंबी सूची जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, अब वीजा चाहने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले पाँच साल का रिकॉर्ड भी देना होगा। हालाँकि इस नए नियम से कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को छूट दी गई है।

**1.2** अमेरिका के अनुसार वीजा आवेदकों से उनके जीवन और शहर में पिछले 15 साल में आए बदलावों के बारे में भी पूछा जा सकता है।

## वीजा नियमों में बदलाव क्यों

**2.1** अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हर यात्री और अप्रवासी का ब्यौरा पूर्णतः प्रमाणित हो।

**2.2** अमेरिका ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए स्क्रीनिंग प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले केवल उन लोगों को यह जानकारी देने के लिए कहा जाता था जो आतंकवादी संगठनों के प्रभाव वाले क्षेत्रों से अमेरिका आना चाहते थे।

## प्रभाव क्या पड़ेगा

**3.1** इस नई नीति से दुनियाभर में लगभग 15 मिलियन लोग प्रभावित होंगे, जो अमेरिका में वीजा के लिए आवेदन करते हैं।

**3.2** वर्ष 2009 के बाद से अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 20 फीसद की बढ़ोत्तरी देखी गई, लेकिन 2017 के अंत तक भारतीयों को जारी किये गये अप्रवासी वीजा की संख्या घट गई।

**3.3** वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारतीयों के लिए 10,06,802 गैर अप्रवासी वीजा जारी किये, जो चीन और मैक्सिको के बाद तीसरा बड़ा आवेदनकर्ता है। संभवतः इस नीति से वीजा आवेदनों में गिरावट देखी जा सकती है।

**3.4** इसके अलावा वीजा नियमों में बदलाव से प्रतिवर्ष 14.7 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

## वीजा नियमों से उभरने वाले मुद्दे

**4.1** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी व्यक्ति का विवरण सार्वजनिक करने से उसकी आदतों, वरीयताओं, संपर्कों आदि पर प्रभाव पड़ सकता है।

**4.2** सोशल मीडिया के माध्यम से वीजा आवेदक की सारी जानकारी अमेरिका के पास पहुँच जाएगी। ऐसी स्थिति में आवेदक की तस्वीरें, स्थान, जन्मदिन, वर्षगांठ, रिश्ते, मित्रता और व्यक्तिगत डेटा की एक पूरी श्रृंखला सार्वजनिक हो सकती है, जिसे आमतौर पर व्यक्ति निजी जिंदगी में दखल मानता है।

**4.3** अमेरिका के लिए यह सूचनाओं का संग्रह हो सकता है किन्तु भारतीयों या अन्य आवेदनकर्ताओं के लिए यह निजी जीवन में दखल देने जैसा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अमेरिका के साथ साझा नहीं करना चाहेगा।

**4.4** आलोचकों का मानना है कि वीजा नियमों में बदलाव से वे वीजा आवेदक हतोत्साहित होंगे, जो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते हैं।

**4.5** आलोचकों के अनुसार इन नियमों से लोग स्वतंत्र रूप से बोलने या ऑनलाइन समुदाय से दूरी बनाने लगेंगे।

**4.6** आलोचकों का मानना है कि अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग काफी ज्यादा प्रभावी या असरदार रही हो।

**4.7** विश्लेषकों के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी निगरानी कारगर नहीं है, क्योंकि कई बार ये संगठन या समूह सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें या पोस्ट करते हैं।

# ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, 2018

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में विश्व बैंक ने "ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, 2018" रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछली तिमाही के सुस्त आधिकारिक जीडीपी आँकड़े के बावजूद विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.5 फीसद पर कायम रखा है।

## रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

**2.1** विश्व बैंक ने अपनी 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स' रिपोर्ट में कहा है कि अगले दो वित्त वर्ष में भी भारत की विकास दर 7.5 फीसद रह सकती है।

**2.2** रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की अनुमानित विकास दर 7.2 फीसद रही है। सरकारी खपत में सुस्ती की भरपाई, इस दौरान निवेश में बढ़ोतरी से हुई है।

**2.3** रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 की 6.6 फीसद विकास दर के मुकाबले 2019 में चीन की विकास दर घटकर 6.2 फीसद पर आ सकती है।

**2.4** 2020 में यह 6.1 फीसद और 2021 में घटकर छह फीसद पर आ सकती है। इससे भारत दुनिया की सर्वाधिक विकास वाली उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इन आँकड़ों के आधार पर 2021 में भारत की विकास दर चीन के मुकाबले 1.5 फीसद अधिक हो जाएगी।

**2.5** विश्व बैंक ने कहा कि शहरों में कर्ज बढ़ने से खपत बढ़ी है और गाँवों में कृषि उपज की कीमतें गिरने से खपत घटी है। 2018 के आखिरी महीनों में आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती का असर 2019 की पहली तिमाही में भी रहा, जैसा कि सेवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आँकड़ों से पता चलता है।

**2.6** रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे से नीचे आ गई है। मौद्रिक नीति में नरमी के बीच कर्जों में होने वाली बढ़ोतरी का लाभ निजी खपत और निवेश को मिलेगा।

**2.7** 2018-19 में केंद्रीय स्तर पर वित्तीय घाटा कम करने की योजना में विलंब ने आम चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता को बेअसर किया है।

**2.8** वित्तीय घाटा के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान में यह सरकार के लक्ष्य से अधिक रह सकता है।

**2.9** विश्व बैंक ने कहा कि कम आय वाले देशों की विकास दर इस साल के 5.4 फीसद से बढ़कर अगले साल छह फीसद पर पहुँच जाने का अनुमान है लेकिन विकास में यह बढ़ोतरी गरीबी में समुचित कमी लाने के लिए काफी नहीं है।

**2.10** अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता विकास और निवेश को नुकसान पहुँचा सकती है क्योंकि संरक्षणवादी उपाय वैश्विक व्यापार एवं उद्योगों को प्रभावित करते हैं। ब्रेक्जिट (Brexit) के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन और इसके यूरोपीय व्यापारिक भागीदारों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है।

## सीएसओ द्वारा जारी आँकड़े

**3.1** केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आँकड़े के मुताबिक 2018-19 की चौथी तिमाही में देश की विकास दर 5.8 फीसद रही, जो पिछले पाँच साल का निचला स्तर है।

**3.2** इस आँकड़े के साथ विकास की दौड़ में भारत चीन से पिछड़ गया है। सीएसओ ने कहा कि कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास दर घटने से देश की समग्र विकास दर पर नकारात्मक असर पड़ा है।

## विश्व बैंक

**4.1** अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है।

**4.2** वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिये किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है।

# सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
## (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

### 1. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 11 वर्षों में भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 42 फीसदी की कमी आयी है।
2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 58 बच्चों की मृत्यु 5 साल के अन्दर हो जाती है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (a)**

**व्याख्याः** 30 मई 2019 को एसआरएस द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्षों में भारत में शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) में 42 फीसदी की कमी आयी है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में 47 बच्चों की मृत्यु 5 साल के अन्दर हो जाती है न कि 58, जबकि पूरे देश में बच्चों की मृत्यु दर 33 प्रति हजार है। इस प्रकार प्रकार कथन 2 गलत है। जबकि कथन 1 सही है। ■

### 2. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ

**प्र. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. मानसिक स्वास्थ्य नीति 2017 में आयी और 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया।
2. न्यूरोटिक बीमारी को दवाइयों के द्वारा सही किया जा सकता है लेकिन साइकोटिक बीमारी को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है।
3. डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रति एक लाख आबादी में 2443 लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ हैं।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

**उत्तरः (d)**

**व्याख्याः** सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2017 में लायी गयी और 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य की कुछ ऐसी श्रेणियाँ हैं जो मानसिक बीमारी के रूप में आती हैं। बहुत-सी मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जिनको काउंसलिंग और मनोविश्लेषण के द्वारा सही किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रति एक लाख आबादी में 2443 लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ हैं। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

### 3. मंत्रिमंडलीय समिति

**प्र. मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. मंत्रिमंडलीय समिति दो प्रकार की होती हैं- तदर्थ समिति और स्थायी समिति।
2. संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी है।
3. इन समितियों की स्थापना का प्रावधान सरकार की कार्य संचालन नियमावली 1961 में किया गया है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

**उत्तरः (d)**

**व्याख्याः** हाल ही में सरकार ने आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों के गठन की घोषणा की है। संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में कोई चर्चा नहीं गयी है। मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना का प्रावधान सरकार की कार्य संचालन नियमावली 1961 में किया गया है। ज्ञातव्य है कि मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है, जब नई सरकार कामकाज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं। मंत्रिमंडलीय समिति दो प्रकार की होती हैं- तदर्थ समिति और स्थायी समिति। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। ■

### 4. कोलंबो बंदरगाह

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. भारत और जापान ने कोलंबो बंदरगाह में संयुक्त रूप से 'ईस्ट कंटेनर टर्मिनल' विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

2. समझौते के अनुसार श्रीलंका की इस प्रोजेक्ट में 49 फीसदी की हिस्सेदारी होगी जबकि भारत और जापान की 51 फीसदी की हिस्सेदारी होगी।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (a)**

**व्याख्याः** कोलंबो बंदरगाह के लिए भारत और जापान ने संयुक्त रूप से 'ईस्ट कंटेनर टर्मिनल' विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक श्रीलंका की इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी 51% है न कि 49% जबकि भारत और जापान की हिस्सेदारी 49% है न कि 51%। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

## 5. राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक

**प्र. राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक पर राज्यों में बिहार पहले नंबर पर रहा है। बिहार ने इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।
2. राजकोषीय प्रदर्शन का प्रस्तावित समग्र सूचकांक सरकार की बजट की गुणवत्ता के आकलन को लेकर छः तत्त्वों पर आधारित है। इसमें राजस्व व्यय की गुणवत्ता, पूंजी व्यय की गुणवत्ता, राजस्व की गुणवत्ता, राजकोषीय समझदारी का स्तर, जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा और कर्ज सूचकांक शामिल हैं।
3. राजकोषीय अनुशासन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा का रहा है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

**उत्तरः (c)**

**व्याख्याः** हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) केंद्र तथा राज्य सरकारों के बजट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 'राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक' लेकर आया है। सूचकांक को तैयार करने के लिए संयुक्त विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास सूचकांक प्रक्रिया को अपनाया गया है। राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक पर राज्यों में बिहार पहले नंबर पर रहा है। बिहार ने इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं राजकोषीय अनुशासन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल का रहा है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

## 6. अमेरिका द्वारा वीजा नियमों में बदलाव

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. अमेरिका ने वीजा नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत, वीजा चाहने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।
2. अमेरिका ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए स्क्रीनिंग प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले केवल उन लोगों को यह जानकारी देने के लिए कहा जाता था जो आतंकवादी संगठनों के प्रभाव वाले क्षेत्रों से अमेरिका आना चाहते थे।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (a)**

**व्याख्याः** हाल ही में अमेरिका ने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए नये नियमों की लंबी सूची जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, अब वीजा चाहने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पिछले पाँच साल का रिकॉर्ड भी देना होगा। हालाँकि इस नए नियम से कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को छूट दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हर यात्री और अप्रवासी का ब्यौरा पूर्णतः प्रमाणित हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

## 7. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, 2018

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. विश्व बैंक द्वारा जारी 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, 2018' की रिपोर्ट के अनुसार अगले दो वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.5 फीसदी रह सकती है।
2. विश्व बैंक के अनुसार शहरों में कर्ज बढ़ने से लोगों में खपत बढ़ी है और कृषि उपज की कीमतें गिरने से खपत घटी है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (c)**

**व्याख्याः** हाल ही में विश्व बैंक की 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, 2018' के अनुसार अगले दो वित्त वर्षों में भारत की विकास दर 7.5 फीसदी रह सकती है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों में कर्ज बढ़ने से लोगों में खपत बढ़ी है और गाँवों में कृषि उपज कीमत गिरने से लोगों की खपत घटी है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

# सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में चर्चा में रहे सिद्धार्थ रावत किस खेल से संबंधित हैं?

*-टेनिस*

2. हाल ही में भारत के किस राज्य ने भारत की पहली सार्वजनिक साइकिल साझेदारी पहल 'ट्रिन ट्रिन' की शुरूआत की है?

*-कर्नाटक*

3. हाल ही में अल-सल्वाडोर के नये राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है?

*-नायिब बुकेले*

4. हाल ही में जारी एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ई-कचरे का पाँचवां सबसे बड़ा उत्पादनकर्त्ता देश कौन है?

*-भारत*

5. हाल ही में जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई?

*-जापान*

6. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं?

*-मार्शल द्वीप समूह*

7. हाल ही में द्वितीय ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट का आयोजन किस स्थान पर किया गया है?

*-ब्यूनसआयर्स (अर्जेंटीना)*

# सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. 'कल्याण मंडप' की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। चर्चा कीजिए।

2. साइबर संसार में हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि साइबर हिन्दी के विस्तार में क्या बाधाएँ हैं?

3. सभी नागरिकों को बिजली का सपना साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए।

4. स्मार्ट सिटीज से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि बुनियादी ढाँचे में निवेश से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

5. एक विकसित अंतर्देशीय जलमार्ग न सिर्फ देश की पूरी परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा बल्कि इससे परिवहन मॉडल को भी दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। विश्लेषण कीजिए।

6. क्या सबके लिए मकान के सपने को साकार करना, नये भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? चर्चा कीजिए।

7. आयुष्मान भारत किस प्रकार देश को अपने स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचे में बदलाव का एक अवसर उपलब्ध कराता है? समालोचनात्मक वर्णन कीजिए।

# सात महत्वपूर्ण खबरें

## 1. मंगल पर मिला चिकनी मिट्टी के खनिजों का भंडार

हाल ही में नासा के क्यूरोसिटी मार्स रोवर को अपने अभियान के दौरान मंगल ग्रह पर चिकनी मिट्टी के खनिजों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार मिला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल के दो लक्ष्य स्थलों -एबेरलेडी और किलमारी से चट्टानों के नमूने लिए। नासा ने कहा है कि मंगल पर मिशन के 2405वें दिन रोवर की एक नई सेल्फी में इसका पता चला।

अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि खनिज संपन्न यह क्षेत्र निम्न माउंट शार्प के बगल में है, जहां पर 2012 में क्यूरोसिटी यान ने लैंड किया था। क्यूरोसिटी यान माउंट शार्प पर यह अन्वेषण कर रहा है कि क्या अरबों साल पहले वहां पर जीवन के लिए उपयुक्त माहौल मौजूद था। चिकनी मिट्टी का निर्माण अकसर जल से होता है जो जीवन के लिए अनिवार्य है।

रोवर के विशेष उपकरण केमिन (केमिस्ट्री और मिनरोलॉजी) ने चिकनी मिट्टी के खनिज वाले क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त चट्टान के नमूने का पहली बार विश्लेषण किया है। केमिन को बेहद कम मात्रा में हेमेटाइट भी मिला है। यह लौह ऑक्साइड खनिज है जो उत्तर में लगे 'वेरा रूबिन रिज' में भारी मात्रा में उपलब्ध है। नासा के मुताबिक गेल क्रेटर में एक समय प्रचुर मात्रा में पानी रहने के सबूत मिले हैं, जबकि इस पर

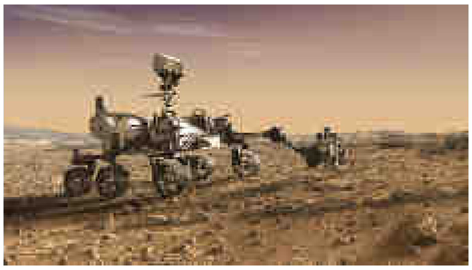

चर्चा जारी है कि क्षेत्र के लिए इन नई खोजों का क्या निहितार्थ है। नासा के मुताबिक हो सकता है कि पुरानी झीलों की कीचड़ के परत से क्षेत्र की चट्टानों का निर्माण हुआ हो। ■

## 2. विश्व महासागर दिवस

विश्व महासागर दिवस विश्वभर में 08 जून 2019 को मनाया गया है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है।

महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से महासागर धीरे-धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

### वर्ष 2019 की थीम

विश्व महासागर दिवस 2019 का थीम-'एक साथ मिलकर हम अपने समुद्रों को बचा सकते हैं' (Together we can protect and restore our Ocean) है। इसका मुख्य मकसद लोगों को समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण और उससे होने वाले खतरों के

बारे में जागरूक करना है।

प्रत्येक वर्ष 'विश्व महासागर दिवस' पर पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विषयों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जो महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

### विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य

विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व में महासागरों के महत्त्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में बताना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं, जैसे -खाद्य सुरक्षा, जैव-विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है।

### अधिकतर ऑक्सीजन महासागर से

महासागर पृथ्वी के लिए फेफड़ों के समान हैं, जहां से संपूर्ण पृथ्वी को अधिकतर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसलिए आवश्यक है कि लोगों को समुद्र में फैलाये जा रहे प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बताया जाए। महासागर समुद्री भोजन एवं दवाओं का सबसे बड़ा स्रोत है इसलिए इसके संरक्षण के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। ■

# 3. सीमा शुल्क बढ़ाए जाने से मार्च में पाकिस्तान से आयात 92% घटा

पाकिस्तान से भारत में वाणिज्यिक आयात इस साल मार्च में 92 प्रतिशत घटकर 28.4 लाख डॉलर का रहा। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाए जाने के बाद आयात में कमी आई है। आतंकवादी हमले के बाद इस साल 16 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी आर्थिक कार्रवाई करते हुए भारत ने पड़ोसी देश से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया। इन वस्तुओं में कपास, ताजा फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादन तथा खनिज शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने कड़ी कारवाई करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। यह निर्णय 15 फरवरी, 2019 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में लिया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान पाकिस्तान से आयात में 47% की कमी आई है, इसका मूल्य लगभग 53.65 मिलियन डॉलर है। मार्च, 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान को किये जाने वाले निर्यात में 32% की कमी आई, इसका मूल्य लगभग 171 मिलियन डॉलर है। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में 7.4% (लगभग 2 अरब डॉलर) की वृद्धि हुई है।

भारत ने पाकिस्तान के कपास, ताजा फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद तथा खनिज पर 200% आयात शुल्क लगाया था। मार्च 2019 में पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं : बुने हुए कपड़े, उन, मसाले, रसायन, मानव निर्मित तंतु तथा प्लास्टिक इत्यादि।

### मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा

मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा विश्व व्यापार संगठन के जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) के तहत किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदार को दिया जाता है। किसी दूसरे देश को यह दर्जा दिए जाने के बाद उस देश को छूट, विशेषाधिकार तथा व्यापार में कई किस्म की छूट प्रदान की जाती हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने से उस देश की व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत होते हैं। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। परन्तु पाकिस्तान ने भारत को अब तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। ■

# 4. तिज्जानी मुहम्मद-बन्दे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष

हाल ही में तिज्जानी मुहम्मद-बन्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, वे नाइजीरिया से हैं। वे संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के एम्बेसडर हैं। वे सितम्बर, 2019 में इक्वेडोर की मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा की जगह लेंगे।

### संयुक्त राष्ट्र महासभा

संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगो में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जिमसे सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है, यह

प्रमुख नीति-निर्माण संस्था है। यह सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चयन भी करती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चयन भी महासभा द्वारा किया जाता है। यह विभिन्न संस्थाओं से रिपोर्ट भी प्राप्त करती है।

इसकी स्थापना 1945 में की गयी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र का आयोजन लंदन के मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में 10 जनवरी, 1946 को किया गया था, इसमें 51 देशो ने हिस्सा लिया था। इसके बाद विभिन्न शहरों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। 14 अक्टूबर, 1952 को सातवें वार्षिक सत्र से पहले इसका स्थायी मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। ■

# 5. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2019

प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2019 का विषय है- 'बच्चों को फील्ड में नहीं सपनों पर काम करना चाहिए।' बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में 'द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन' की ओर से की गई थी।

भारत में भी सरकारी प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध दिवस एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। बाल मजदूरी (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों की जानकारी पूरे देश में दुकानदारों एवं आम लोगों को दी जाएगी।

### भारत में बालश्रम से संबधित रिपोर्ट

- बाल श्रम के खिलाफ कार्यरत संगठन बचपन बचाओ आंदोलन(बीबीए) की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग सात से आठ करोड़ बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित हैं।
- इन आंकड़ों के अनुसार अधिकतर बच्चे संगठित अपराध रैकेट (organised crime

rackets) का शिकार होकर बाल मजदूरी के लिए मजबूर किए जाते हैं जबकि बाकी बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 साल के 25.96 करोड़ बच्चों में से 1.01 करोड़ बाल श्रम के शिकार हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में लगभग 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे बेहद खराब हालात में काम कर रहे हैं।

### भारत में बालश्रम के विरुद्ध प्रावधान

- **बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 :** यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशों और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।
- **फैक्टरी कानून 1948 :** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है।
- भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। ■

## 6. सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार खटिक लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर

टीकमगढ़ से बीजेपी सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। नए चुने गए सांसदों को वह सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। वह 7वीं बार सांसद चुने गए हैं।

### क्या होता है प्रोटेम स्पीकर

प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टैम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है- 'कुछ समय के लिए'। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक लोकसभा अपना स्थायी अध्यक्ष (स्पीकर) नहीं चुन लेती।

ज्ञातव्य है कि जब भी कोई नई लोकसभा गठित होती है तो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। इसके बाद राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। नए सांसदों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए सरकार दो-तीन नामों की सिफारिश करती है। करीब दो दिनों तक सदस्यों को शपथ दिलाने का काम चलता है और इसके बाद सदस्य अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं।

कार्यवाहक स्पीकर के दो कार्य होते हैं-

- संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना
- नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया तक अध्यक्ष बने रहना। ■

## 7. चक्रवाती तूफान वायु

चक्रवाती तूफान 'वायु' के गुजरात तट से टकराने और आस पास के क्षेत्रों में तबाही की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बचाव की तैयारियां शुरु कर दी हैं। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर दक्षिण और पश्चिमी इलाकों, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले तीन दिनों तक तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के पोरबंदर, महुवा, वेरावल और द्वीव में 110 से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 135 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है।

### गुजरात में हाईअलर्ट

तूफान के वजह से गुजरात में हाईअलर्ट है। तटीय इलाकों में राष्ट्रीय आपदा नियंत्रक टीम (एनडीआरएफ) की तैनाती की गई हैं। मछुआरों को अगले कुछ दिनों के लिए भी समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चक्रवात के पहुंचने के पहले ही भारी बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश के वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन में व्यावधान आया है तथा वहाँ भी हाईअलर्ट जारी किया गया है।

### ऑरेंज अलर्ट क्या होता है?

मौसम विभाग के मुताबिक जैसे-जैसे मौसम और खराब होता है तो येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज कर दिया जाता है। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, वहां के लोगों को इधर-उधर जाने, समुद्र के आसपास घूमने के प्रति सावधानी बरतने को कहा जाता है।

### येलो अलर्ट

मौसम विभाग येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए करता है। इसका मतलब होता है खतरे के प्रति सचते करें उदासीन नहीं। यह अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल है। इस प्रकार की चेतावनी में 7.5 से 15 मिमी. की भारी बारिश होती है जो कि अगले 1 या 2 घंटे तक जारी रह सकती है। परिणामस्वरूप बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है।

### पाकिस्तान पर प्रभाव

पाकिस्तानी मौसम विभाग के वैज्ञानिक अब्दुर राशिद ने बताया कि तूफान के वजह से पाकिस्तानी तटों पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के तटीय इलाकों में हीट वेव (गर्मी) बढ़ सकती है। चक्रवाती तूफान वायु की वजह से अरब सागर में दबाव के क्षेत्र बनेगा जिसकी वजह से पाकिस्तानी तटीय इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है। अभी वहां 35 से 37 डिग्री तापमान है, जो बढ़कर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ■

# सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

## 1. कम खाओ, सही खाओ

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर कहा, कि भारत के सभी नागरिक 'सही खाओ' मुहिम को जन भागीदारी के साथ उसी तरह जन आंदोलन का रूप दें, जिस प्रकार हम सबने एकजुट होकर भारत को पोलिया मुक्त बनाया है।
- मंत्रालय ने कहा कि हम अनाज का एक भी दाना बर्बाद नहीं करने का संकल्प लें तथा अपने स्तर पर और अपने संस्थानों में, खाद्य सुरक्षा में योगदान देना सुनिश्चित करें। इससे गरीबी, भूख और कुपोषण को जड़ से मिटाने में मदद मिलेगी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय, 'खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार' है।
- नए भारत के विजन में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पोषण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 'मन की बात' सम्बोधन में एफएसएसएआई के 'सही खाओ अभियान' के महत्त्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि तंदुरूस्ती का आशय केवल रोगों और दुर्बलता की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण है।
- इस कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सात राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2018-19 के लिए सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश हैं- चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
- एफएसएसएआई ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (एसएफएसआई) विकसित किया है। इस इंडेक्स के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के पांच मानदंडों पर राज्यों का प्रदर्शन आंका जाएगा। इन श्रेणियों में शामिल हैं- मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन, कार्यान्वयन, खाद्य जांच-अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण। श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वालों के बाद निम्न राज्यों के स्थान हैं- बिहार, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश।
- कई नगरों में तीसरे पक्ष द्वारा जांच और प्रशिक्षण प्रक्रिया के पश्चात 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' का प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में स्वर्ण मंदिर स्ट्रीट, अमृतसर को भी 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' की मान्यता दी गई है।
- सरकार ने तकनीकी आधारित और बैट्री से चलने वाले 'रमन 1.0' नामक उपकरण का शुभारंभ भी किया। यह उपकरण खाद्य तेलों, वसा और घी में की गई मिलावट का एक मिनट से भी कम समय में पता लगाने में सक्षम है। स्कूलों तक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स' नामक नवाचारी समाधान की शुरूआत की है। अपने आप ही खाने में मिलावट की जांच करने वाली इस किट में एक मैनुअल और एक उपकरण लगा है। यह किट स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए भी लाभदायक है।

## 2. स्वच्छ भारत की बदौलत भूजल संदूषण में कमी

- हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छता भूजल, सतही जल, मिट्टी या वायु सहित पर्यावरण के सभी पहलुओं और साथ ही साथ ओडीएफ क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है।
- भूजल के दूषित में कमी लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की प्रशंसा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के 2018 के अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया गया था कि भारत के खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो जाने पर स्वच्छ भारत मिशन 3 लाख से अधिक जिंदगियां बचा पाने में समर्थ होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आने वाले लंबे समय तक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा।
- इस संबंध में यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा अध्ययन कराए गए। इन अध्ययनों का उद्देश्य क्रमशः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पर्यावरणीय प्रभाव और उनकी कम्युनिकेशन छाप का मूल्यांकन करना था।

- केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इन अध्ययनों को जारी करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, इस बात से अवगत है कि मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक प्रमुख मुद्दा है जो पूरे विश्व में लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया है।
- उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के पर्यावरण पर स्वच्छ भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव पर अपने निष्कर्षों को जारी करने के लिए यूनिसेफ ने इसी दिन को चुना है।
- भारत सरकार, ने कहा कि देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 99% का आंकड़ा पार कर चुकी है और यह मिशन अपने अंतिम चरण में है तथा 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन इस प्रगति के फायदों को निरंतर बनाए रखने और ओडीएफ-प्लस चरण को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है।

## 3. भारतीय खाद्य निगम की भावी रूपरेखा

- केन्द्रीय उपभोक्त मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा होने वाले अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सारा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाए।
- केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि शांता कुमार समिति की सिफारिशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी कि एफसीआई की कार्य शैली सुव्यवस्थित और अत्यंत तेज हो जाए। उनके अनुसार देश में 100 लाख टन की गोदाम (साइलो) भंडारण क्षमता सृजित करने की योजना है।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गेहूं और चावल की सरकारी खरीद पहले की ही तरह जारी रहेगी, जिससे कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ आगे भी निरंतर मिलता रहे। हाल ही में समाप्त रबी सीजन में 338 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि वर्ष 2018-19 में 423 लाख टन चावल खरीदा गया है, जिनमें से 341 लाख टन चावल एफसीआई पहुंच चुका है।
- उनके अनुसार एफसीआई में 3 प्रकार के मजदूर हैं- विभागीय, दैनिक भुगतान प्रणाली (डीपीएस) और संविदा श्रम के साथ काम नहीं तो वेतन नहीं वाले कामगार। इनके बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 विभिन्न प्रबंधों को समाप्त करने के लिए और एफसीआई के सभी कामगारों को एकल, एक समान प्रणाली के तहत लाने के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है।
- इससे सभी कामगारों के लिए कार्यकाल की स्थिरता और सुरक्षित वेतन उपलब्ध होगा। सभी कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर एक सर्वसम्मति बनाई जा रही है।
- उन्होंने यह भी कहा कि एफसीआई में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) लागू की जाएगी। जिसका कार्य अगस्त, 2019 में शुरू होकर अगस्त, 2020 तक पूरा हो जाएगा। इस कदम से एफसीआई के 196 कार्यालयों में कार्यरत 22,000 कर्मचारियों को फायदा होगा।

## 4. शिक्षा, प्रगति एवं विकास का एक प्रमुख मार्ग

- हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने देश की पूरी शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण की अपील की है जिससे कि हम अपने युवाओं को 21वीं सदी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण से सुसज्जित कर सकें।
- उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि शिक्षा प्रगति एवं विकास के प्रमुख उत्प्रेरकों में से एक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र तभी प्रगति करते हैं जब उसके नागरिक शिक्षित बन जाते हैं। 1964-68 के कोठारी आयोग की रिपोर्ट, जिसने देश की शिक्षा नीति को एक नया आकार और नयी दिशा प्रदान की का भी उल्लेख उन्होंने किया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, जो समस्त संबंधित मुद्दों को कवर करता है, का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने उत्कृष्टता एवं समानता के लिए लक्ष्य की चर्चा की और राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा लोकाचार के बीच संतुलन स्थापित करने तथा हमारे छात्रों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए तैयार करने की आवश्यकता रेखांकित की।
- भारत की उन्नत साक्षरता दर को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में हमें अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आबादी पढ़, लिख, गणना, अभिव्यक्त कर सके तथा विकास संबंधी प्रक्रिया में अधिक आत्मविश्वास के साथ सहभागिता कर सके।
- उपराष्ट्रपति ने विचार व्यक्त किया कि हमारी स्कूली प्रणाली को अनिवार्य रूप से अधिक शिशु हितैषी होनी चाहिए तथा उसे प्रत्येक शिशु के जन्मजात संकायों के समग्र विकास की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान एवं शिक्षण में उत्कृष्टता पर

अधिक जोर देने के लिए फिर से रूपरेखा बनाए जाने की आवश्यकता है।

- उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है और अगर हमें तेजी से बदलती इस दुनिया में प्रगति करनी है तो हमें एक औसत दर्जे की या गुणात्मक रूप से इष्टतम शिक्षा प्रणाली से ऊपर उठना होगा। उन्होंने बड़ी संख्या में ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति की इच्छा जताई जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करे। उन्होंने कहा कि 'दिमाग, हाथ और हृदय का एक साथ विकास होना चाहिए।'
- उन्होंने विचार व्यक्त किया कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हमें अज्ञानता, अंधविश्वास, कट्टरता, पूर्वाग्रहों एवं संकीर्ण दृष्टि से मुक्त करती है।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि बौद्धिक प्रतिभा को निश्चित रूप से अच्छे कार्यों एवं करूणापूर्ण व्यवहार से जुड़ा होना चाहिए। 'शिक्षा जीवन के लिए है न कि केवल आजीविका के लिए' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से 'रुपान्तरकारी' होना चाहिए न कि केवल 'व्यावहारिक'।

## 5. भारत, मालदीव के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देगा

- भारत के अग्रणी लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) ने अगले पांच वर्षों के दौरान मालदीव के एक हजार लोक प्रशासकों के क्षमता निर्माण के लिए मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 8 जून, 2019 को माले की यात्रा के दौरान किया गया।
- इस समझौते में परिकल्पना की गई है कि एनसीजीजी मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से निर्मित (कस्टमाइज) प्रशिक्षण तरीकों की रूपरेखा तैयार करने एवं इसके कार्यान्वयन के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तुओं में लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदायगी, लोकनीति एवं शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय क्षेत्रों में मत्स्यिकी में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों, कृषि आधारित प्रचलनों, स्व-सहायता समूह पहलों, शहरी विकास एवं नियोजन, प्रशासन में नैतिकता एवं एसडीजी के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सामग्रियों के विकास एवं सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के आयोजन में मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन के एक सहायक संस्थान लोकसेवा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता भी करेगा।
- विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यय का वहन करेगा।
- एनसीजीजी के महानिदेशक एवं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव ने कहा कि एनसीजीजी ने अप्रैल 2019 में मालदीव के 28 लोक प्रशासकों को प्रशिक्षित किया था और इस सफल संयोजन ने दोनों देशों को इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि 2019 में एनसीजीजी ने बांग्लादेश, म्यांमार, गांबिया एवं मालदीव के लोक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

## 6. आईसीएटी ने दोपहिया खंड में भारत का प्रथम बीएस-VI प्रमाण पत्र जारी किया

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने आज नई दिल्ली में दोपहिया खंड में भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) मानकों के लिए भारत का प्रथम टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट (टीएसी) जारी किया।
- यह प्रमाण पत्र आईसीएटी के निदेशक श्री दिनेश त्यागी द्वारा जारी किया गया और ओईएम (मौलिक उपकरण विनिर्माता) के शीर्ष अधिकारियों के सुपुर्द किया गया।
- बीएस-VI मानक, नवीनतम उत्सर्जित मानकों के रूप में हाल ही में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। आईसीएटी ने ऑटोमोटिव उद्योग के विकास, अनुकूलन और इन भावी उत्सर्जित मानकों का अनुपालन करने के लिए इंजनों तथा वाहनों की जांच में सहायता और सहयोग देने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।
- भारत स्टेज मानक ऑटोमोटिव उत्सर्जन मानक हैं। भारत में अपने वाहन बेचने के लिए ऑटोमोटिव विनिर्माताओं को इनका अनुपालन करना पड़ता है। ये मानक सभी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिये वाले वाहनों तथा निर्माण उपकरण वाहनों पर लागू होते हैं।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरों पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने लम्बी छलांग लगाते हुए मौजूदा बीएस-IV मानकों से बीएस VI मानकों पर जाने का फैसला किया है।
- इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 से बीएस-V मानकों को छोड़कर सीधे बीएस VI मानक लागू करने का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल, 2020 से केवल उन्ही वाहनों को भारत में बेचा और पंजीकृत किया जाएगा, जो इन मानकों का अनुपालन करेंगे। ये मानक कड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप हैं।

- पिछले साल, आईसीएटी ने भारी वाहन खंड में मैसर्स वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हिकल्स् के लिए बीएस-VI मानकों के लिए स्वीकृति जारी की थी। वह भी भारत में अपने खंड में प्रथम थे।
- आईसीएटी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत प्रमुख परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी है, जो भारत और विदेश में वाहनों और संघटक विनिर्माताओं के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

## 7. कांडला पोर्ट में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला, गुजरात में एक प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत 10 जून, 2019 को हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य सीबीआरएन आपात स्थितियों के संदर्भ में पोर्ट आपात प्रबंध कर्ताओं (एसईएच) में जागरूकता बढ़ाना और उनकी तैयारियों को बेहतर बनाना है।
- शृंखला का यह चौथा कार्यक्रम है। पूरे देश के बंदरगाहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो एसईएच को आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाएंगे। इसी वर्ष तीन एसईएच टीमों को मंगलौर, कोच्चि और नवी मुंबई में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- पोर्ट पर बड़ी मात्रा में रासायनिक, पेट्रो रसायन और अन्य सीबीआरएन तत्वों के आगमन, भंडारण तथा परिवहन के कारण सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियाधर्मी और नाभिकीय) संकट का खतरा बना रहता है।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इंडियन पोर्ट एसोसिएशन (आईपीए), नाभिकीय औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (आईएनएमएएस) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एसईएच की क्षमता वृद्धि से पोर्ट पर सीबीआरएन सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी।
- इस कार्यक्रम में व्याख्यान और व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संदिग्ध पदार्थ को ढूंढने और इसे निष्क्रिय करने के कार्य को लाइव प्रदर्शित किया जा रहा है। व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मॉक अभ्यास भी अयोजित किए जा रहे हैं। सीबीआरएन आपात स्थितियों के दौरान एसईएच को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहयोग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के विशेषज्ञ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

# सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

## 1. 1765 में भारत

**महत्वपूर्ण तथ्य**

- 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के भग्नावशेष पर दर्जनों छोटी-छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरकर सामने आयीं, जैसे- बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा आदि।
- इन शक्तियों में सबसे प्रभावशाली ढंग से मराठा उभरकर सामने आए। मराठों के अतिरिक्त निजाम-उल-मुल्क के अधीन दक्षिण भारत में हैदराबाद रियासत का गठन हुआ।
- हैदर अली के नेतृत्व में दक्षिण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मैसूर रियासत उभरकर सामने आयी।
- इसी प्रकार केन्द्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर बंगाल में मुर्शिदकुली खाँ और अलीवर्दी खाँ नामक दो व्यक्तियों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का प्रयास किया।
- आगे चलकर बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद ने प्लासी के युद्ध को जन्म दिया जो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पर लड़ा गया जिसमें अंग्रेज विजयी हुए।
- 1764 में पुन: अंग्रेजों ने अवध के नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध ने अंग्रेजों की सैन्य शक्ति को भारत में सर्वोपरि साबित कर दिया और भारत में अंग्रेज सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो गये।

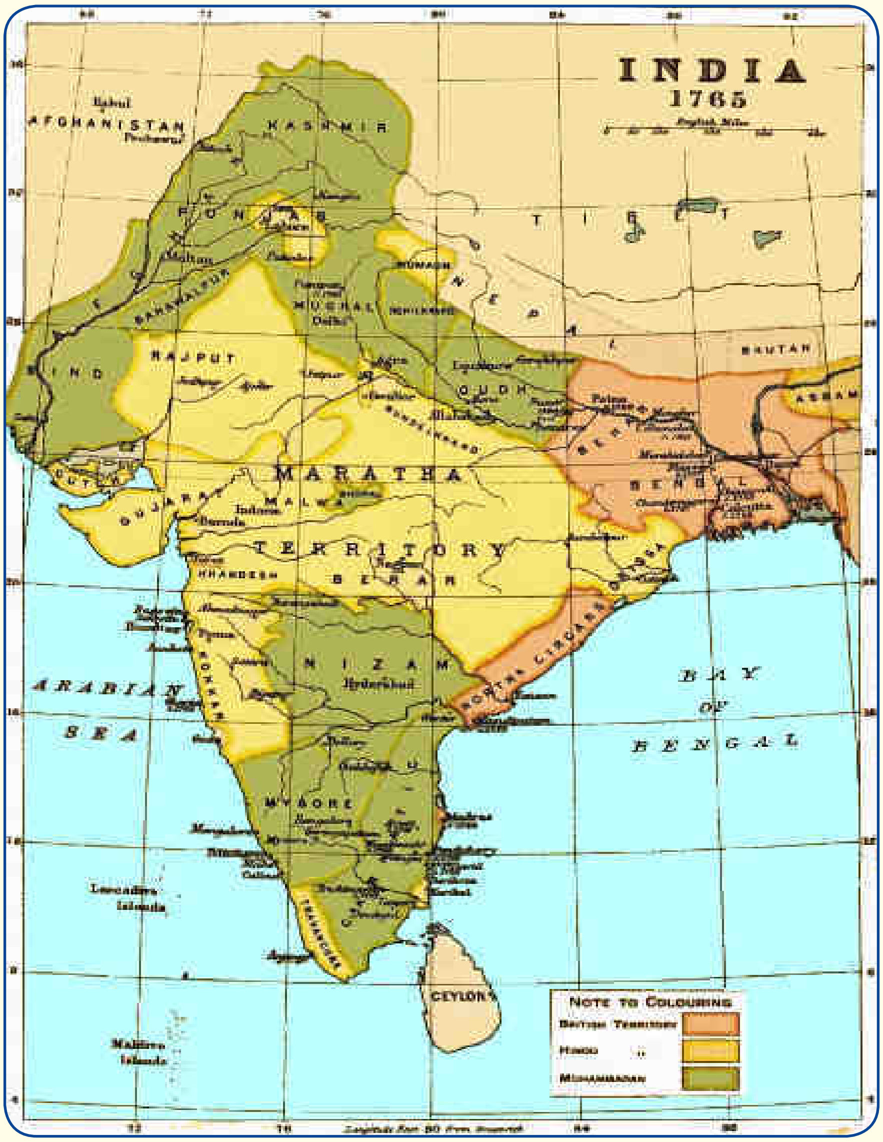


- बक्सर युद्ध के पश्चात राबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया।
- बक्सर के युद्ध (1764) और इलाहाबाद की प्रथम संधि (1765) से अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गया।
- रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि (1765 ई.) के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया।
- बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो गए थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी।
- इस प्रकार बक्सर युद्ध के पश्चात देश में कानून और व्यवस्था लगभग ठप्प हो गई, इसके अलावा कंपनी प्रशासन के उत्तरदायित्व को स्वीकार भी नहीं करती थी।

## 2. ब्रिटिश राज्य का उदय 1772

### महत्वपूर्ण तथ्य

- बक्सर युद्ध के पश्चात कंपनी अब एक राजनैतिक संस्था बन चुकी थी। कंपनी ने ऐसी नीतियां बनायीं जिससे प्रशासनिक व्यवधान के साथ-साथ, कृषि एवं व्यापार तथा उद्योगों का ह्रास हुआ।
- 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्ज बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ। 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के अंतर्गत कलकता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
- 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में सुधार न होने के कारण 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया।
- पुन: 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया जिसके द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया किन्तु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
- 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसके अनुसार बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट में पहली बार केन्द्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई।
- 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया।

## 3. 1857 के बाद भारत

### महत्वपूर्ण तथ्य

- 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट (Crown) को सौंप दिया गया।
- 1858 के अधिनियम में यह कहा गया कि भारत का प्रशासन अंग्रेजी साम्राज्ञी के नाम से ही चलाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक अतिरिक्त भारत सचिव तथा एक भारत परिषद् की नियुक्ति की गई।
- 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन में अधिक परिवर्तन नहीं किए गए, लेकिन गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।
- 1857 के बाद अंग्रेजों ने कई एक्ट पारित किये जिनमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फैक्टरी एक्ट, इलबर्ट बिल, आर्म्स एक्ट इत्यादि शामिल थे।
- इन अधिनियमों के पारित होने के परिणामस्वरूप भारत की राजनीति एवं लोगों के सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव आए।
- 1857 से 1900 के बीच अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय व्यापार और देशी उद्योगों को काफी हानि पहुँचाई, जिससे ब्रिटिशों का शोषणकारी रूप भारतीय जनता के सामने प्रकट हुआ।
- 1885 से 1905 तक का काल भारत में राष्ट्रवाद का बीज बोने का समय था और आरंभिक काल के राष्ट्रवादियों ने बीज, गहरे और अच्छे ढंग से बोए। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, साथ ही इसके प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी।

# 4. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत

## महत्वपूर्ण तथ्य

- कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग 1902 में सर एण्ड्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की।
- 1905 के दौरान भारत में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों ने एक नई गति पकड़ी।
- 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया।
- 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की माँग प्रस्तुत की।
- 1907 के कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया।
- 1909 में मार्ले मिन्टो सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया।
- 12 दिसम्बर, 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल-विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गयी एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित करने की घोषणा की गयी। 1912 ई. में दिल्ली भारत की राजधानी बनी।

# 5. स्वतंत्रता के पूर्व (1913-1947) भारत

## महत्वपूर्ण तथ्य

- कॉंग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1916) में कॉंग्रेस के गरम एवं नरम दलों में एकता हो गयी। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कॉंग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की।
- बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च, 1916 को पूना में होमरूल लीग की स्थापना की।
- गाँधीजी ने 'सत्याग्रह' का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में 'सत्याग्रह' का पहला प्रयोग 1917 में चम्पारण (बिहार) में किया गया।
- महात्मा गाँधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल (1918) के समर्थन में की थी।
- 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गाँधी ने 'कैसर-ए-हिन्द' की उपाधि वापस लौटा दी।
- 1 अगस्त 1920 को गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया।
- कॉंग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज' का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।
- 1942 में कॉंग्रेस ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया।
- 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई।

# 6. स्वतंत्रता के बाद भारत (1947-1956)

## महत्वपूर्ण तथ्य

- 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तात्कालिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में संविधान का निर्माण किया गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- 1947 में तत्कालीन भारत को दो स्वतंत्र इकाइयों, भारत तथा पाकिस्तान में बांटना एक राजनैतिक निर्णय था, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों में साम्प्रदायिक वैमनस्य तो बढ़ा ही, अपितु कई राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गईं।
- स्वतंत्रता के समय 11 ब्रिटिश प्रांत और लगभग 566 रियासतें थीं। अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग दिया गया था, उनका मुख्य कार्य रियासतों का एकीकरण करना था।
- रियासतों के एकीकरण की दिशा में जम्मू तथा कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इन रियासतों का भारतीय राजनैतिक तथा प्रशासनिक ढांचे में विलय हो जाना केवल समय की ही बात नहीं थी, अपितु तर्कसंगत भी था।
- 1948 में एस.के. दर आयोग एवं जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को निराधार बताया, किन्तु तेलुगू भाषियों द्वारा अलग आंध्र प्रदेश की मांग के फलस्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ज्ञातव्य है कि पंडित नेहरू ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी।

# 7. 1956 से 2019 के बीच भारत

## महत्वपूर्ण तथ्य

- 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद संसद में सातवाँ संविधान संशोधन पारित किया गया। 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे।
- स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के पास भारत के कई क्षेत्र थे। उनमें से कुछ जैसे पांडिचेरी (चेन्नई के पास), चन्द्रनगर (कलकत्ता के पास, माहे कालीकट के पास पश्चिमी तट), यनम फ्रान्सीसियों के अधीन थे। एक लम्बी वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने सन्धि के अंतर्गत नवम्बर 1954 ई. में भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया।
- लक्षद्वीप को आरम्भ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केन्द्रशासित प्रदेश (Union Territory) का दर्जा दे दिया गया।
- 17 दिसम्बर 1961 को भारत के तीन क्षेत्र गोवा, दमन एवं द्वीव, तथा दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया।
- 1956 के बाद महाराष्ट्र तथा गुजरात (1960), नागालैण्ड (1962), हरियाणा और चंडीगढ़ (1966), हिमाचल प्रदेश (1970), मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय (1971), सिक्किम (1975), मिजोरम (1996), अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा (1987), छत्तीसगढ़ (2000), उत्तराखण्ड (2000), झारखण्ड (2000) और तेलंगाना (2014) आदि राज्य बनाये गये।

**DHYEYA IAS®**
*most trusted since 2003*

# All India Mains Test Series-2019
## *with Face to Face Evaluation*

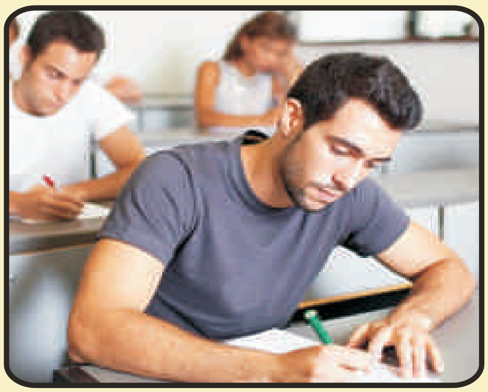

Test Writing

### Benefits of Face to Face Evaluation.

1. Faculty explains how to make the current answer a scoring Answer
2. There is internalisation of feedback by student.
3. Student understands nuances of good answer writing.

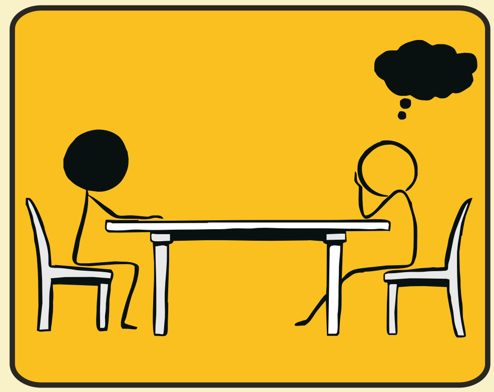

Face to Face copy evaluation

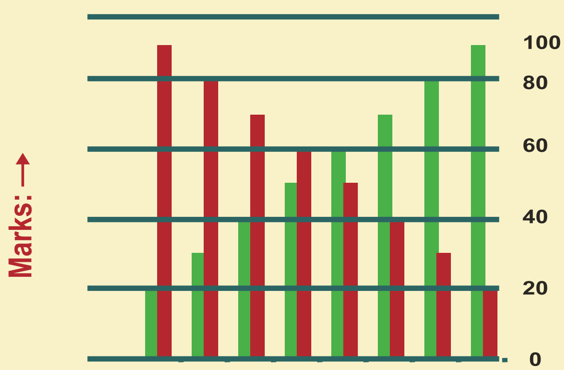


Fig. Improvement in Marks (Time)
MISTAKES
% MARKS

## OPEN MAINS CSE ANSWER WRITING PROGRAMME - 2019

- Modular Classes
- Art & Culture, Modern, Ethics, Essay etc.
- 8 Questions per day.

**17th JUNE | 2:00 PM**

### SALIENT FEATURES

1. 8 Sectional + 4 Full Length Test + 5 Essays
2. Schedule your Test Well as Evaluation
3. Starting 16th June 12 PM onwards
4. Copy Evaluation in front fo the student
5. Snippet : Mains Fact File

Also Available:-
**STATE PCS TEST SERIES**
**UP | BIHAR**
ONLINE | OFFLINE

**9205274743  011 49274400**
25 B, 2nd FLOOR, METRO PILLAR NO. 117,
PUSA ROAD, OLD RAJENDRA NAGAR, NEW DELHI - 110060

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

## AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

## DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

## Face to Face Centres

**DELHI (MUKHERJEE NAGAR)** : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

## Live Streaming Centres

**BIHAR** – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

# Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
# (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

**नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

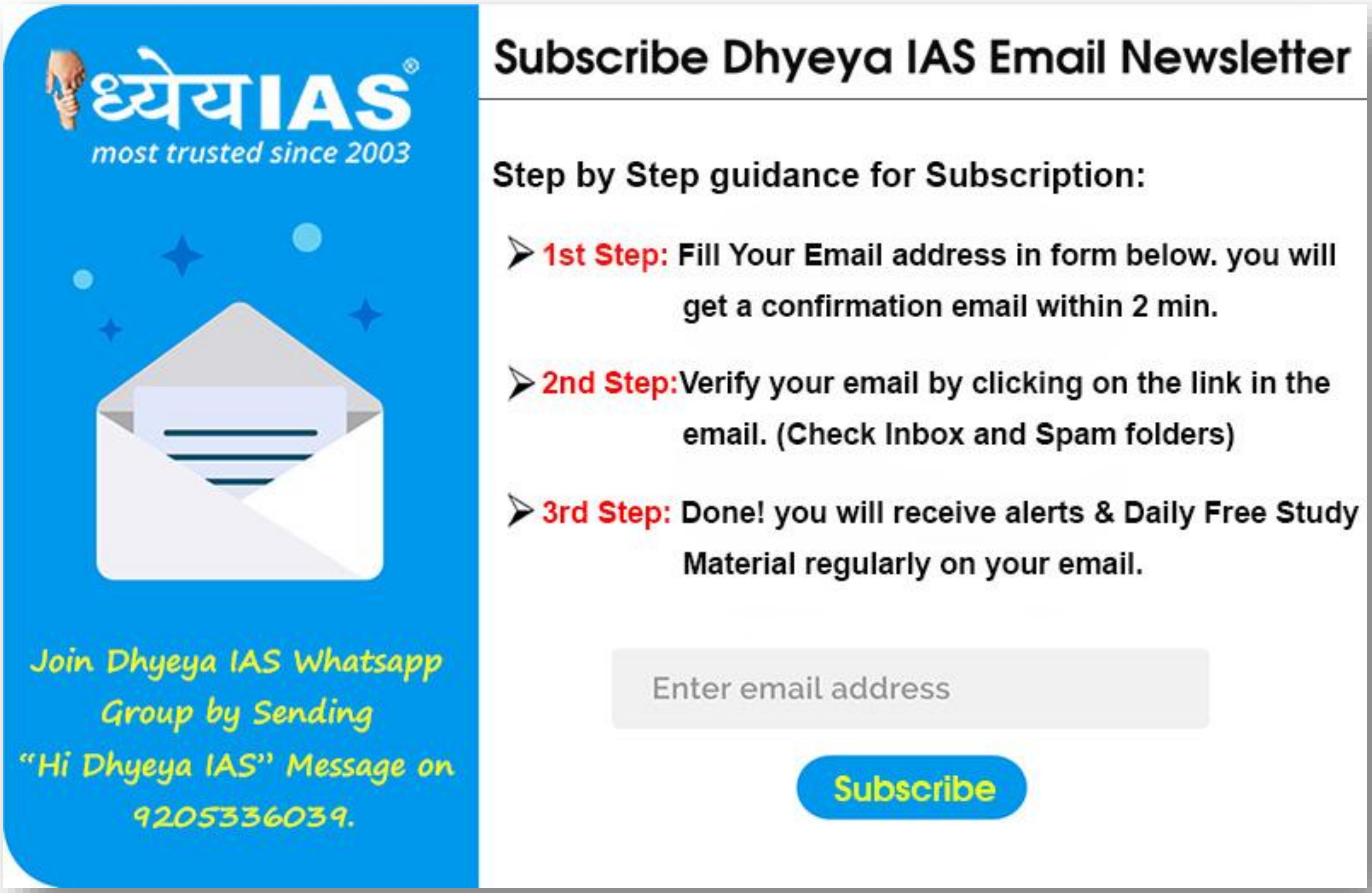


ध्येयIAS most trusted since 2003
**Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009**
**Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400**

# ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर

## Dhyeya IAS Now on Whatsapp

**ध्येय** IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174441 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

**आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं**

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
*most trusted since 2003*


**Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009**
**Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400**